

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9, 1978 (भाद्रपद 18, 1900)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1978 (BHADRA 18, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 अगस्त 1978

सं० ए० 32014/1/78-प्रशा० III(1):—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थाई सहायकों को, राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिये अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

| क्रम सं० | नाम                | अवधि जिसके लिये अनु-भाग अधिकारी नियुक्त किया गया। |
|----------|--------------------|---|
| 1.       | श्री जय नारायण     | 30-7-78 से 1-9-78 तक की अतिरिक्त अवधि के लिये     |
| 2.       | श्री बी० एल० शर्मा | 18-7-78 से 1-9-78 (46 दिनों) तक                   |

सं० ए० 32014/2/78-प्रशा० III(2):—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-6-78 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक तथा डेस्क अटैची के पद पर कार्यरत श्री एस० के० अरोडा को, राष्ट्रपति द्वारा 28-7-78 से 1-9-78 तक की अतिरिक्त अवधि के लिये, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

2. का० और प्र० सु० विभाग के का० जा० सं० 12/1/74-सी० एस० (1) दिनांक 11-12-75 का अनुसरण करते हुए, श्री एस० के० अरोडा को, जब तक वह अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, डेस्क अधिकारी पूर्णपदित किया गया है तथा वह अनुभाग अधिकारी के वेतन के अतिरिक्त रु० 75/— प्रति माह विशेष वेतन लेंगे।

दिनांक 9 अगस्त 1978

सं० ए० 12025(ii)/1/77 प्रशा० III—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी

सहायक श्री आर० के० मागो को जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/78 प्रशा० III दिनांक 21 जुलाई, 1978 द्वारा तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के नियुक्त किया गया था, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में अनुभाग अधिकारी के पद पर नामित कर दिये जाना परिणामस्वरूप 9-8-1978 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

प्र० ना० मुखर्जी, अवर सचिव (प्रशा०)  
(प्रशासन प्रभारी)  
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अगस्त 1978

I

सं० एफ० 1/41/78-इस्टे 9(सी० आर० पी० एफ) (पर्स-4):—श्री एस० एम० घोष, आई० पी० एस० (बिहार: 1943) ने सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

II

राष्ट्रपति सी० आई० एस० एफ० के महानिदेशक श्री आर० सी० गोपाल, आई० पी० एस० (उत्तर प्रदेश 1944) को 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

च० चक्रवर्ती, निदेशक

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 1978

सं० जे०-8/65-प्रशा० 5:—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री जे० एन० प्रभाकर, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को दिनांक 29-7-78 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिये अस्थाई रूप से स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एफ० /एच०-40/66-प्रशासन-5:—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री एच० बी० डी० बैजल, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को दिनांक 31-7-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिये अस्थाई रूप से स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० पुरी, उप-निदेशक (प्रशासन)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1978

जी०-7/65-प्रशा० 5:—श्री बट्टी शर्मा, पुलिस अधी-  
अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना का  
21/22 जुलाई, 1978 की राति में स्वर्गवास हो  
गया।

ह० अण्ठनीय  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० ए०-1903621/78-प्रशा० 5:—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री जे० एन० प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 31-7-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में अस्थाई रूप से स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में प्रोन्नत करते हैं।

रिपदमन सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० ए०-31014/1/78-प्रशासन-1:—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री पी० के० बिस्वास को दिनांक 8-5-78 (पूर्वाह्न) से मूल रूप से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केन्द्रीय न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जरनैल सिंह प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० ओ० दो० 1040/76 स्थापना:—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डाक्टर एम० श्रीनिवास रेडी, 5 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, का त्यागपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1978 अपराह्न से स्वीकृत कर लिया।

ए० के० बन्दोपाध्याय, सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1978

सं० ई०-38013(3)/1/77कार्मिक:—मद्रास में स्थान-  
न्तरण होने पर श्री डी० के० देवाने ने 25 जुलाई, 1978

के पूर्वाह्न से के० श्री० सु० ब० यूनिट आई० एस० आर० श्री० धुम्बा के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई-16014(2)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण होने पर श्री आर० एम० शर्मा, अप-कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल ने 26 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० श्री० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक महा-निरीक्षक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 18 अगस्त 1978

सं० ई-38013/3/1/78-कार्मिक—झांसी से स्थानान्तरण होने पर श्री एम० के० चोपड़ा ने 19-6-78 के पूर्वाह्न से के० श्री० सु० ब० यूनिट, बी० आई० श्री० पी० डिपोजिट नं० 5, बचेली के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

रा० च० गोपाल,  
महानिरीक्षक, के० श्री० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अगस्त 1978

सं० 10/13/76-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री अलोक कुमार दत्ता को लक्षद्वीप, कनारत्ती में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 30 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अस्थाई तौर पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय कनारत्ती में होगा।

पी० पद्मनाभ,  
भारत के महापंजीकार

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम, मध्यप्रदेश  
खालियर, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० प्रशासन-1/185—महालेखाकार-प्रथम, मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों को स्थानापन्न क्षमता में लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 840-40-1000-द० अ०-40-1200 में उनके नाम के आगे दर्शाये गए दिनांक से पदोन्नत किया है।

1. श्री टी० एन० पाण्डे (02/238) 31-7-78 (पूर्वाह्न)
2. श्री पूरनचन्द गुप्ता (02/239) 25-7-78 (पूर्वाह्न)
3. श्री रमेश चन्द्र सक्सेना (02/240) 25-7-78 (पूर्वाह्न)

पुत्र श्री श्रींकार चन्द

कृष्ण गोपाल,  
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

महालेखाकार कार्यालय, कर्नाटका  
बेंगलूर, दिनांक 9 अगस्त 1978

सं० स्था० I/ए4/78-79/362—महालेखाकार, इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थापन/स्थायी, अनुभाग अधिकारियों को उसके वरिष्ठों के बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, अगले आदेश

जारी होने तक, लेखा अधिकारी पद में, उस पद का कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक से केवल अस्थायी रूप में पदोन्नत करते हैं।

महेश्वरी

1. पी० के० रामकृष्णन
2. जी० मनोहर राव

एम० ए० सोन्दरराजन,  
वरिष्ठ उप महालेखाकार  
(प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग,

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियन्त्रक  
नई दिल्ली-22, दिनांक 10 अगस्त 1978

सं० 68018(2)/71-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री आर० पटनायक (विदेश मन्त्रालय में वित्त सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर) को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I (रूपये 2500-125/2-2750) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त, अनुक्रम नियम के अधीन, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० 29015(2)/78/प्रशा०-II—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ समय मान (रूपये 1100-50-1600) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम                     | नियुक्ति की तारीख   |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| 1.       | श्री अरुण शर्मा                    | 27-7-78 (पूर्वाह्न) |
| 2.       | श्री नन्द किशोर                    | 22-7-78 (पूर्वाह्न) |
| 3.       | श्रीमती सी० आर० विजयलक्ष्मी गुप्ता | 27-7-78 (पूर्वाह्न) |
| 4.       | श्री जयरामन नटराजन                 | 29-7-78 (पूर्वाह्न) |

बी० एस० भीर,  
रक्षा लेखा अपर महा नियन्त्रक

श्रम मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 6 सितम्बर 1978

सं० 23/3/78-सी० पी० आई०—जुलाई, 1978 में बौद्धयोजिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) जून, 1978 के स्तर के तीन अंक बढ़ कर 330 (तीन सौ तीस) रहा। जुलाई, 1978 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परिवर्तित किए जाने पर 401 (चार सौ एक) बाता है।

त्रिभुवन सिंह  
उप निदेशक  
श्रम ब्यूरो

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायिता मन्त्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1978

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण  
स्थापना

सं० 6/337/56-प्रशासन (राज०)/5800—सेवा-निवृत्ति की आयु होने पर, श्री एन० पी० वी० नायर ने 31 जुलाई, 1978 के दोपहर बाद से एनाकुलम, कोचीन के कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्य-भार छोड़ दिया।

दिनांक 17 अगस्त 1978

सं० 6/442/57-प्रशासन (राज०)-5778—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थायी-अधिकारी, श्री जे० एन० एल० कुदेसिया ने 31 जुलाई, 1978 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्य-भार छोड़ दिया।

का० वें० शोभात्रि,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

निदेशक का कार्यालय

हावड़ा-711103, दिनांक 25 मार्च 1978

सं० बी० एस० आई०-66/110/78-स्था०—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, श्री पोचिस्तर खारकोगर, अनुसूचित जनजाति को श्री एम० के० वी० राव (वर्गीकरण वनस्पतिज्ञ के पद पर नियुक्त) के स्थान पर एक आरक्षित रिक्ति पर 650-30-740-35-810-व० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- रुपये के परिणोदित वेतनमान में नियमाधीन सामान्य स्वीकार्य भर्ती सहित 650 रुपये के वेतन में 2 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक, अस्थाई रूप से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पूर्वी सर्कल में वनस्पतिज्ञ के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एन० सेनगुप्ता,  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1978

सं० ए०-19012/15/78-एस०-2—महानिदेशक, दूरदर्शन, श्री सी० एल० नागरी जो पहले दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में प्रधान लिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे, को दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में 22 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से स्पष्ट 650-30-740-35-880-40-960 के वेतनमान में आगे आदेश होने तक अस्थाई रूप में निष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सी० एल० आर्य,  
उपनिदेशक प्रशासन

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1978

सं० 29-5/75-प्रशासन-I—श्री पी० ए० सी० राव ने 27 जुलाई 1978 अपराह्न से राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर से प्रशासन अधिकारी के पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

सं० ए० 12025/48/76-(एन० एम० ई० पी०)/प्रशासन-I—रक्षा मन्त्रालय के अधीन क्षेत्रीय प्रयोगशाला, तेजपुर में एस० एस० ओ० आई० के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री पी० आर० मल्होत्रा ने 3 जुलाई, 1978 अपराह्न से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली से सहायक निदेशक (इ० एन० टी०) के पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला,  
उपनिदेशक प्रशासन (सं० ब० प०)

कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० 5(39)/78-स्थापना (I)—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द में विदेश सेवा की शर्तों पर परियोजना कार्यकारी के पद पर नियुक्त होने के परिणामस्वरूप, डा० पी० के० कोले, सहायक पशुधन अधिकारी को इस निदेशालय में दिनांक 11-8-78 से सहायक पशुधन अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किया गया।

इन्द्रजीत कपूर,  
निदेशक प्रशासन

ग्रामीण विकास विभाग

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 19 अगस्त, 1978

सं० फाईल ए० 31014/4/78-ए० I—श्री क० स० कामथ को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में दिनांक 30 मार्च, 1976 से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के स्थायी पद पर मूलतः नियुक्त किया जाता है।

जे० एस० उप्पल,  
कृषि विपणन सहायक

परमाणु ऊर्जा विभाग

त्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 11 अगस्त 1978

सं० क्र० भ० नि०/23/9/77-संस्थान/21255—इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 जून 1978 के तारतम्य में निदेशक, त्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, इस निदेशालय के क्र० सहायक श्री आर० के० व्यास को

सहायक क्रय अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से अग्रिम समय 3 जून 1978 तक इसी निदेशालय में, तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 17 अगस्त 1978

सं० क्र० भ० नि०/23 (6)/78-प्रशासन/2148--निदेशक, क्रय और भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री वी० के० बोसकल, सहायक भंडार अधिकारी के भंडार अधिकारी नियुक्त होने के कारण, श्री एम० एम० नौटियाल, भंडारी को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतन क्रम में, सहायक भंडार अधिकारी पद पर, प्रभारी रूप में कार्य करने हेतु, दिनांक 26-5-78 से 30-6-78 तक नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी,  
सहायक कार्मिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500-762, दिनांक 13 अगस्त 1978

सं० पी० ए० आर०/0704/1592--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री एस० सी० शर्मा औद्योगिक अस्थायी हिन्दी सहायक, को 19-7-1978 से 29-8-1978 अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले घाटित हों, तक के लिए तदर्थ रूप से नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

यू० वासुदेव राव,  
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 1978

सं० ए० 32013/15/77-ई० I--राष्ट्रपति ने श्री टी० एम० वेंकटरमन, उपनिदेशक (संचार) को 31-7-78 (पूर्वाह्न) से शीघ्र आदेश होने तक निदेशक वैमानिक संचार, के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्रेम चन्द जैन,  
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

पटना, दिनांक 19 अगस्त 1978

मि० सं० 11 (7) 1-स्था०/77/8174--केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, पटना के निम्नलिखित राजपत्रित पदाधिकारी ग्रुप 'ए०' अपनी सेवा की श्रायु पूरी कर उनके नाम

के सामने दिखाए गए तारीख और समयानुसार सेवा निवृत्त हुए।

| क्रम सं० | नाम | पदनाम | सेवा निवृत्त की तिथि |
|----------|-----|-------|----------------------|
|----------|-----|-------|----------------------|

सर्वश्री

- |    |                 |   |                      |
|----|-----------------|---|----------------------|
| 1. | एस० एन० अग्रवाल | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ग्रुप 'ए' | 31-3-78<br>(अपराह्न) |
| 2. | एस० एन० पाल     | उपरोक्त                                   | 31-5-78<br>(अपराह्न) |

मि० सं० 11 (7) 1-स्था०/77/8175--केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, पटना के निम्नलिखित राजपत्रित पदाधिकारी ग्रुप 'बी०' अपनी सेवा की श्रायु पूरी कर उनके नाम के सामने दिखाए गए तारीख और समयानुसार सेवा निवृत्त हुए।

| क्रम सं० | नाम | पदनाम | सेवा निवृत्त की तिथि |
|----------|-----|-------|----------------------|
|----------|-----|-------|----------------------|

सर्वश्री

- |    |                    |  |                      |
|----|--------------------|--|----------------------|
| 1. | पी० एन० सिन्हा     | महायक मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 30-4-78<br>(अपराह्न) |
| 2. | एस० के० राय चौधरी  | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क                  | 30-6-78<br>(अपराह्न) |
| 3. | के० के० चौबे       | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क                  | 30-6-78<br>(अपराह्न) |
| 4. | के० सी० श्रीवास्तव | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क                  | 30-6-78<br>(अपराह्न) |
| 5. | बी० एन० झा         | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क                   | 30-6-78<br>(अपराह्न) |
| 6. | एफ० दुबे           | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क                  | 30-6-78<br>(अपराह्न) |

ए० एम० सिन्हा,  
समाहर्ता  
केन्द्रीय उत्पाद, पटना

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय

सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 1978

सं० 13/78--श्री दुर्गा प्रसाद ने, जो पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानपुर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के पद पर

कार्य कर रहे थे, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 25/4/78 के आदेश सं० 61/78 (फा० सं० ए-22012/13/78) के अनुसार स्थानान्तरण होने पर दिनांक 3-8-78 के अपराह्न से निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में निरीक्षण अधिकारी (सीमा शुल्क) ग्रुप "क" के पद का कार्यभार सभाल लिया है।

एम० वी० एन० राव  
निरीक्षण निदेशक

### केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 1978

सं० ए० 32012/9/75-प्रशा० 5— विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, निम्न-लिखित अनुसन्धान सहायकों को, जो इस समय स्थानापन्न सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के रूप में तदर्थ आधार पर है, उसी पद पर सं० 650-30 740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-व० रो०-40-1200 के वेतनमान में दिनांक 5 जुलाई, 1978 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान शाला, पूणे, में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं—

1. श्री वी० आर० गोहड़।
2. श्री पी० एस० कर्पलेश्वर।
3. श्री एस० आर० भम्बुरे।
4. श्री आर० एस० पाटिल।

उपर्युक्त अधिकारी सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद पर दिनांक 5 जुलाई, 1978 से दो वर्ष पयस्त परिवीक्षा पर रहेंगे।

जे० के० साहा  
प्रवर सचिव

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और सिडिम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 17 अगस्त, 1978

सं० 26942/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एवद्वारा सूचना दी जाती है कि सिडिम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और विहार साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 17 अगस्त, 1978

सं० 161/5/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विहार साहित्य भवन, प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस० सि० नाथ  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कार्यालय आयकर आयुक्त,

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 1978

आयकर

सं० जूरि/दिल्ली/5/78-79/18895—इस विषय पर पहले के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों तथा मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में अपने कार्य करेंगे। किन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर आयुक्त द्वारा किसी आयकर अधिकारी को सौंपे गए या इसके पश्चात सौंपे जाने वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों तथा मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में अपने कार्य नहीं करेंगे।

अनुसूची

| क्रम सं० | आयकर अधिकारी का पदनाम            | अधिकार क्षेत्र   | क्षेत्र   |
|----------|----------------------------------|--|---|
| 1        | 2                                | 3  | 4   |
| 1.       | आयकर अधिकारी, डि० 2(9) नई दिल्ली | (क) आयकर अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए सभी मामले। | वे क्षेत्र जो 1-7-76 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 तथा 66 के अन्तर्गत आते हैं (अर्थात् तिमारपुर, सोहनगज, आर्यपुरा एक्सटेशन विजय नगर) |

1

2

3

4

(ख) वे व्यक्ति जो अपना कारोबार या व्यवसाय इस अनुसूची के कालम 4 में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में से किसी में है या जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं तथा फर्मों के उन भागीदारों के मामलों को छोड़कर जिनका निर्धारण अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति जिनका नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर, 'टी' से आरम्भ होता है।

(ग) उपरोक्त मद (ख) में आने वाली फर्मों के सभी भागीदार व्यक्ति

2. आयकर अधिकारी डि०-2 (10) नई दिल्ली

(क) आयकर अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए सभी मामले

—वही—

(ख) वे व्यक्ति जो अपना कारोबार या व्यवसाय इस अनुसूची के कालम-4 में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में से किसी में है या जो इस क्षेत्रों में रह रहे हैं और जिनके नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर 'एस०' से आरम्भ होते हैं और जिसने 1-4-77 को या इसके पश्चात पहली बार अपनी आय की विवरणी दाखिल की है या जो इसके पश्चात विवरणी दाखिल करें या 1-4-77 को या उसके पश्चात धारा 139 (2) या 147 के अन्तर्गत जिनके मामले में कार्यवाही शुरू की गई हो या इसके बाद शुरू की जाए और जिसके मामले में, फर्म के उन भागीदारों के मामलों को छोड़कर जिनका निर्धारण अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अभी तक कोई निर्धारण पुरा नहीं हुआ हो।

(ग) उपरोक्त मद (ख) में आने वाली फर्मों के सभी भागीदार व्यक्ति।

3. आयकर अधिकारी डि० 2 (15) नई दिल्ली

(क) वे व्यक्ति जो अपना कारोबार या व्यवसाय इस अनुसूची के कालम-4 में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में है या जो ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तथा उपर बताए, आयकर अधि-

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

कारी डि० 2(10), नई दिल्ली को सौंपे गए मामलों तथा फर्मों के उन भागीदारों के मामलों को छोड़कर, जिनका निर्धारण अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति जिनके नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर 'एस' से आरम्भ होते हैं।

(ख) उपरोक्त मद (ख) में आनेवाली फर्मों के सभी भागीदार व्यक्ति।

यह अधिसूचना 10-8-78 से लागू होगी।

के० आर० राघवन  
आयकर आयुक्त, दिल्ली-5

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 78

अनुसूची

आयकर

सं० जूरि-दिल्ली/2/78-79/19122--आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में पहले के सभी आदेशों में संशोधन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट/सर्किलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे :—

| रेंज   | आयकर डिस्ट्रिक्ट/सर्किल   |
|--|---|
| 1  | 2   |
| निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-2 ए, नई दिल्ली। | कम्पनी सर्किल-1 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, और 21, नई दिल्ली।  |
| निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-2डी, नई दिल्ली। | 1. कम्पनी सर्किल-22 नई दिल्ली<br>2. ठेकेदार सर्किल नई दिल्ली<br>3. वकील सर्किल-1 तथा 2 नई दिल्ली<br>4. ट्रस्ट सर्किल नई दिल्ली। |

यह अधिसूचना 16-8-78 तक लागू होगी।

ए० सी० जैन  
आयकर आयुक्त, दिल्ली-2  
नई दिल्ली



प्ररूप आई० टी० एन० एस०—  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
 धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना  
 भारत सरकार  
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक, 14 अगस्त, 1978

निदेश सं० ए०सी० क्यू० 23-I-1563 (706)/166/77-  
 78—अतः मुझे, जे० क्यूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
 है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
 रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 390, है तथा जो जस० टी० वर्कशाप  
 के दक्षिण में, माल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे  
 उपाबन्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता  
 अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम  
 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
 मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों)  
 और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
 तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण,  
 लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
 अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
 दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
 के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए था, छपाने में  
 सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण  
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

2—236G1/78

1. गिरधर लाल नरशी भाई,  
 प्रताप भाई गिरधरलाल भाई,  
 68, गीता नगर, राजकोट-2  
 (अन्तरक)

2. मैसर्स प्रदीप एन्टरप्राइज, की ओर से भागीदार:  
 सुशीला गिरधरलाल,  
 गोडल रोड, राजकोट ।  
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
 कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
 अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
 लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
 अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
 हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
 गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो 4082-6-0 वर्ग गज भूमि पर  
 स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 390 है तथा जो एस० टी०  
 वर्कशाप के दक्षिण में, गोडल रोड, पर, राजकोट में स्थित है  
 तथा जिसका पूर्ण वर्णन दिसम्बर, 1977 वाले विक्री दस्तावेज  
 नं० 3494/77 में दिया गया है ।

जे०

सक्षम

सहायक आयकर आयुक्त  
 अर्जन के

तारीख 14-8-78

मोहर :

## प्रश्न आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 18 अगस्त 1978

निर्देश सं० 225/78-79/अर्जन—यतः, मुझे, डी० सी० राजागोपालन, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, धारवाड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11, 20, 21, 12, 18, 19, 30 और 40 है, तथा जो दंडुबिसाहारा गांव, कस्बा-होबली, नरसिम्हाराजपुरा तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नरसिम्हाराजपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1808 (1908 का 16) के अधीन अंडर डाकुमेन्ट नं० 106 तारीख 18-1-78 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्ति को जो जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जा चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यम की धारा 269 ग के अनुसरण में,  
269 ब की उपधारा (1) के अधीन,

1. दि मंसूर कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड, 28 कृष्णराजेंद्रा रोड, बसनगुडि, बंगलूर-4 (अन्तरक)
2. (1) श्री ई० सी० वाइट,  
(2) श्री ओ० सी० वाइट करगुडुल्लि एस्टेट सुटिकोप्पा पोस्ट (जिला कुर्ग),  
(3) श्रीमती बी० एस० डोमेर्गु,  
(4) श्रीमती मावेल अमोस फ्रंससिस्क वाइट,  
(5) श्रीमती माकिनी वाइट केर आफ श्री ई० सी० वाइट कूरगु हुल्लि एस्टेट, सुटिकोप्पापोस्ट, कुर्ग जिला,  
(6) श्री सज्जन आर० राव, पिता एस० एम० रामकृष्ण, कॉफी प्लांटर लक्ष्मी निवास फोर्टे, बंगलूर-2,  
(7) श्रीमती अडवनि एस० रूया श्री एस० एम० रूया का पत्नी लक्ष्मी निवास, फोर्टे, बंगलूर-2,  
(8) श्रीमती मूर्दुला देसाई श्री आर० के० देसाई की पत्नी है। नं० 450, राजमहल विलास हाडावा, बंगलूर-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

स्थिर आस्ती दंडुमिलाहारा गांव, कस्बा होबली, नरसिम्हाराजपुरा—तालुक, चिकमंगलूर—जिला के यहाँ है। नं० 11, 20, 21, 12, 18, 19, 39 और 40 एकत्र एरिया एस्टेट का 503 एकड़ और 35 गुंटास है।

डी० सी० राजागोपालन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 18-8-1978  
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निदेश सं० लुधि/4/224/77-78—अतः मुझे नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० मकान नं० बी० 20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, वासी बी-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(अन्तरक)

2. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री केहर सिंह वासी बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2717, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है) ।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख : 22 अगस्त 1978  
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/बी०/225/77-78—अतः, मुझे,  
नल्लू राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु०  
से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी०-20-658, गुरदेव नगर,  
लुधियाना है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख  
दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से  
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तब पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी घाब की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;  
और/या

(ख) ऐसी किसी घाय या किसी धन या अथवा अस्थितियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिओं, अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी बी०-20-  
658, गुरदेव नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

2. श्री सुखदेव सिंह, पुत्र मेहर सिंह, वासी बी०-20-658,  
गुरदेव नगर, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-  
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय  
में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान नं० बी०-20-658, जोकि गुरदेव नगर, लुधियाना में  
स्थित है।

(जाएदाव जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के  
कार्यालय के विलेख संख्या 2718, दिसम्बर, 1977 में दर्ज  
है)।

नल्लू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

## प्रश्न आई० टी० एन० एस०—

भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/बी०/226/77-78—अतः, मुझे,  
नत्थू राम,

भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है और जिसकी सं०

फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 193, इंडस्ट्रियल एरिया ए० लुधियाना है, तथा जो इंडस्ट्रियल एरिया-ए०, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपायध्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उद्य पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धरति:—

1. मैसर्स एस० एस० मरजारा, होजरी फैक्ट्री, बी/5/1365, कूचा नं० 3, माधोपुरी, लुधियाना

(अन्तरक)

2. श्री दिलबाग सिंह पुत्र करनल सिंह व श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी हरबंस सिंह मारफत मैसर्स ए० के० पलास्टिक इंडस्ट्रीज (रजिस्टर) नजदीक मन्जू सिनेमा, लुधियाना

(अन्तरिती)

3. असिस्टेंट कंट्रोलर, कस्टम व सेंट्रल इक्साइज, 1-एफ०, सराभा नगर, लुधियाना

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करवा हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोदस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 193, इंडस्ट्रियल एरिया ए०, लुधियाना।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2730, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निवेश सं० लुधियाना/बी०/228/77-78—अतः मुझे,

नत्थू राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० में अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी०-4०-729, माली गंज, लुधियाना है, तथा जो माली गंज, लुधियाना में स्थित है (और इससे उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिक्ष की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री सत्या प्रकाश पुत्र श्री गुरदास राम, वासी लुधियाना (बी०-4-729, माली गंज)

(अन्तरक)

2. श्री परशोत्तम कुमार जैन पुत्र श्री रघूनाथ दास, वासी बी०-4-729, माली गंज, लुधियाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माझेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में हिस्सा बढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षर के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-4-729, माली गंज, लुधियाना।

(जाएदा जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के विलेख संख्या 2732, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार  
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना  
 लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/वी/230/77-78—अतः, मझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 51 कनाल 14 मरले है तथा जो गांव डेरी एच० बी० 75, तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में गन्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) प्रन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त आयानियम, के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें कटौती में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आयिनियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सर्वश्री जगमोहन सिंह व हरमोहन सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, वासी गांव सेखेबाल, तहसील लुधियाना (अन्तरक)

2. सर्वश्री पसौरा सिंह पुत्र सोहन सिंह व केवल सिंह पुत्र लछमन सिंह, वासी गांव डेरी, तहसील लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 51 कनाल 14 मरले है और जो गांव डेरी एच० बी० 75, तहसील लुधियाना में स्थित है।

(जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2776 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)  
 अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 21 अगस्त 1978  
 मोहर :

प्ररूप घाई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/250/77-78—यतः, मुझे,  
नत्थू राम,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
र० में अधिक है  
और जिसकी सं० प्लाट जिसका क्षेत्रफल 671 वर्ग गज है और जो  
गुरदेव नगर लुधियाना में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची  
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या-  
लय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1977  
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी घात की बाबत उक्त अधि-  
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा  
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रयात्:—

1. मैसज गुरप्रसाद ट्रस्ट (रजिस्टर), गुरदेव नगर,  
लुधियाना द्वारा प्रीतम सिंह गरेवाल, मैनेजिंग ट्रस्टी  
(अन्तरक)

2. सर्व श्री अयोग कुमार, शाम सुन्दर, अनिल कुमार व  
अनूप कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश मारफत मैसज ओम  
प्रकाश सतीस कुमार, मन्डी केशरगंज, लुधियाना।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी घात्रोप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 671 वर्ग गज है और जो गुरदेव  
नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के  
कार्यालय के विलेख संख्या 2951, दिसम्बर, 1977 में दर्ज  
है)।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक भायकर आयुक्त, (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 22 अगस्त 1978  
मोहर :



प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/232/77-78—यतः, मुझे, नत्थू राम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, लुधियाना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और ज़िमकी सं० प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग गज है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः—

3—236G/78

1. मैसज गुरप्रसाद ट्रस्ट (रजिस्टर), गुरदेव नगर, लुधियाना

(अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हरि राम वासी मण्डी केसरगंज लुधियाना। मारफत मैसर्स ओम प्रकाश सतीश कुमार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग गज है और जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2806, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/240/77-78—यतः, मुझे,  
नत्थू राम, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज,  
लुधियाना

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
₹ से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० मकान नं० बी-19-154 अ रानी झांसी  
रोड, लुधियाना है, तथा जो रानी झांसी रोड, लुधियाना में  
स्थित है (श्रीर इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना  
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के  
अधीन, दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल  
के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से  
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी घाय की नाबत, उक्त अधिनियम,  
क अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने  
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी घाय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
की जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसार  
मे, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती शकुन्तला देवी वासी 76, सैक्टर 16-ए०,  
चण्डीगढ़

(अन्तरक)

2. श्रीमती कुसम रानी पत्नी श्री अविनाश चन्द, बी-3,  
439, पुराना बाजार, लुधियाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में वृद्धि  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-19-154 अ रानी झांसी रोड, सिविल  
लाइन, लुधियाना।

(जयदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के  
कार्यालय के विलेख संख्या 2911, दिसम्बर, 1977 में दर्ज  
है)।

नत्थू राम

[सक्षम प्राधिकारी

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/234/77-78—यतः, मुझे,  
 नत्थू राम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज,  
 लुधियाना  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
 कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
 रु० से अधिक है  
 और जिसकी सं० मकान नं० बी-19-154 अ, रानी झांसी  
 रोड, लुधियाना है, तथा जो रानी झांसी रोड, सिविल लार्डन  
 लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और  
 पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
 लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
 16) के अधीन, दिसम्बर, 1977  
 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
 का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
 उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
 (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
 प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
 वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
 नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
 करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकों  
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
 सुविधा के लिए;

यतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनु-  
 सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा  
 (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती शकुन्तला, वासी 76, सैक्टर 16-ए,  
 चण्डीगढ़ (अन्तरक)
2. श्रीमती अरुना रानी पत्नी श्री सतीश चन्द वासी  
 बी-3-439, पुराना बाजार, लुधियाना  
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रजन  
 के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह  
 में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
 किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी  
 अन्य व्यक्ति द्वारा अघोष्टाक्षरी के पास लिखित  
 में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
 नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही  
 अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-19-154 अ, रानी झांसी रोड, लुधियाना।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के  
 कार्यालय के विलेख संख्या 2833, दिसम्बर 1977 में दर्ज  
 है)।

नत्थू राम  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 ग्रजन रेंज, लुधियाना

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

**प्रकरण धार्ई० टी० एन० एन०—**

**भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**

**धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

**अर्जन रेंज, लुधियाना**

**लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978**

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/236/77-78—यतः, मुझे, नत्थू राम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज लुधियाना

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिमकी सं० विल्डिंग नं० के 3/4, टैक्सटाइल कलोनी, लुधियाना है, तथा जो टेक्सटाइल कलोनी, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, के अधीन अर्थात् :—

1. श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, बी-6/1221, गुरु नानक गली, माधोपुरी, लुधियाना (अन्तरक)

2. मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, के 3/4 टेक्सटाइल कालोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया ए, लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—**इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है

**अनुसूची**

जायदाद /विल्डिंग नं० के 3/4, टैक्सटाइल कलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया ए, लुधियाना।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के थिलेख संख्या 2868, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम,  
सक्षम अधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

## प्रकृष धार्डी०डी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/246/77-78—यतः, मुझे,  
नत्थू राम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,  
लुधियाना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की  
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास  
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार  
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 125, इंडस्ट्रियल  
एरिया 'ए', लुधियाना है, तथा जो इंडस्ट्रियल एरिया 'ए'  
लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण  
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित  
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान  
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक  
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य भास्तिवों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने  
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के  
अनुसरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की  
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रकटः—

1. मैसर्स साहनन नेटवियर, 125 इंडस्ट्रियल एरिया  
'ए', लुधियाना  
(अन्तरक)

2. श्री ज्ञान चन्द दत्ता पुत्र श्री राम नाथ वासी 125,  
इंडस्ट्रियल एरिया 'ए', लुधियाना  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख  
से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,  
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर  
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में  
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी  
के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

## अनुसूची

बिल्डिंग नं० 125, इंडस्ट्रियल एरिया 'ए', लुधियाना  
जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 274 वर्ग गज है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के  
कार्यालय के अिलेख संख्या 2924, दिसम्बर, 1977 में दर्ज  
है)।

नत्थू राम,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 22 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त 1978

निवेश सं० एलडीएच/247/77-78—अतः मझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० एफ० नं० 21, भदौड़ हाऊस, लुधियाना है तथा जो भदौड़ हाऊस मारकीट, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्थात्:—

(1) श्री इन्दरजीत नागपाल पुत्र श्री बंसी लाल, वासी बी-7/210-211 सावन बाजार, लुधियाना

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री सतबन्त सिंह व दलजीत सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह व श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह वासी गांव इसेवाल, तहसील लुधियाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायेदाद एस० सी० एफ० नं० 21 भदौड़ हाऊस लुधियाना (जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के बिलेख संख्या 2931 दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 22 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० एलडीएच/253/77-78—अतः मुझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० सी० एफ० नं० 8 भदौड़ हाऊस, लुधियाना है तथा जो भदौड़ हाऊस, (मारकीट) लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृक्षमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृक्षमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रखा राम रिखी पुत्र श्री सरन दास, जी० टी० रेलवे रोड़, लुधियाना

(अन्तरक)

(2) श्री चाउ पान्ग सैंग पुत्र चाउ बी० कूम, वासी दीपक सिनेमा रोड़, लुधियाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोषितकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बुकान-कम-प्लॉट नं० 8, भदौड़ हाऊस, (मारकीट), लुधियाना जिसका क्षेत्रफल 110 वर्ग गज है।

जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 3020 दिसंबर, 1977 में दर्ज है

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्राधिकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त, 1978

निदेश सं० पीटीए/43/77-78—अतः मझे, नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जायेदाद (दुकान) नं० 240/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला है तथा जो धर्मपुरा बाजार, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(+) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बावजूद में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ठिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री संगत सिंह, वासी 240/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला। (अन्तरक)

2. सर्वश्री शिव कुमार व केशव चन्द पुत्र श्री राम चन्द मारफत उपकार ट्रेडर्स, सदर बाजार, पटियाला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रथम 20क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस प्रथम 20क में दिया गया है।

अनुसूची

जायेदाद (दुकान) नं० 240/3 जोकि धर्मपुरा बाजार, पटियाला में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के कार्यालय के विलेख संख्या 4442, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक : 22 अगस्त, 1978

मोहर :



प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 अगस्त, 1978

निर्देश सं० पीटीए/4अ/78-79—अतः मुझे, नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जायेदाद (दुकान) नं० 240-बी/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला है तथा जो धर्मपुरा बाजार पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—  
4-236GI/78

1. श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री संगत सिंह, 240/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला। (अन्तरक)

2. सर्वश्री शिव कुमार व केशव चन्द्र, पुत्र श्री राम चन्द्र मारफत मैसर्स उपकार ट्रेडर्स, मदन बाजार, पटियाला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायेदाद (दुकान) नं० 240-बी/3 जोकि धर्मपुरा बाजार, पटियाला में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के कार्यालय के विलेख संख्या 236, अप्रैल, 1978 में दर्ज है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक : 22 अगस्त, 1978

मोहर

प्ररूप धार्क० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त, 1978

निदेश सं० सीएचडी/80/77-81—अतः मुझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 2½ मंजिला रिहासी मकान नं० 3434, सैक्टर 23-डी चन्डीगढ़ है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परद्व प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाब, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी वस्तु या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमति जसमेर कौर जोगी वासी 2249/15-सी, चन्डीगढ़ (अन्तरक)

2. श्री मोहिन्दर सिंह लोहना और श्रीमति जीत कौर जोगी, वासी 1590, सैक्टर 18-डी, चन्डीगढ़

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्रावण :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमुसुची

2½ मंजिला रिहासी मकान नं० 3434, सैक्टर 23-डी, चन्डीगढ़।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख सं० 918 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है।)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त, 1978

मोहर

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

अयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को

धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० बीआरएन/7/77-78—अतः मुझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 14 कनाल है तथा जो गांव हन्डियां, तहसील बरनाला जिला संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरनाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. सर्वश्री धलीप सिंह पुत्र श्री केहर सिंह और श्री मोहिंदर सिंह पुत्र धलीप सिंह रासी गांव हन्डियां तहसील बरनाला, जिला संगरूर (अन्तरक)

2. सर्वश्री सत पाल, पवन कुमार, सुभाष कुमार, पुत्र श्री बच्चन लाल, सुरिन्दर कुमार जाती पुत्र इशर दास श्रीमति राज रानी पति प्रेम प्रकाश और श्री हरि चन्द (एच० यू० एफ०) पुत्र श्री रल्ला राम, बासी बरनाला (पारटनरज जिदल राइस मिलज, बरनाला) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 14 कनाल है और जो गांव हन्डियां, तहसील बरनाला, जिस संगरूर में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बरनाला के कार्यालय के विलेख संख्या 4094, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक 21 अगस्त 1978

मोहर

प्ररूप धाई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० बीआरएन/8/77-78/—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 10 कनाल 16 मरले है तथा जो गांव हन्डियां, तहसील, बरनाला, जिला संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरनाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितियों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;)

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्नातु :—

(1) सर्वश्री हाकम सिंह और बन्त सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह वासी गांव हन्डियां, तहसील बरनाला, जिला संगरूर

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री सत पाल, पवन कुमार, सुभास कुमार, पुत्र श्री बचन लाल, हरि चन्द्र पुत्र रल्ला राम, मुरिन्दर कुमार जाती पुत्र इशर दास, श्रीमती राज रानी पत्नी प्रेम प्रकाश और श्री सोहन लाल पुत्र मंगत राय, वासी बरनाला (मारफत जिवल राइस मिलज, बरनाला।)

(अन्तरितियों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए तर्जवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो कि अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 10 कनाल 16 मरले है और जो गांव हन्डियां, तहसील बरनाला, जिला संगरूर में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बरनाला, के कार्यालय के अभिलेख संख्या 4118, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है।)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

सोहर :

प्रारूप धार्मिक टी० एन० एन०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रंजन रेंज, प्रायतर भवन, लुधियाना  
लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० एमकेएल/19/77-78/—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० में अधिक है और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 कनाल है तथा जो दिलावर बाग, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलेरकोटला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसम्बर 1977

को सूचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यदापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिता (अन्तरिताओं) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम 1957 (1957 का 27) का प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या कि ज्ञात बाह्य था, छिपाने में सुविधा के लिए;

एतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) वेगम साहिबा मुनावर-उज-निशा पत्नी नवाब साहिब मोहम्मद इफतिखार अली खान, पैसस गारडन, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स संगीत पैलेस, नजदीक बस स्टैंड, विलावर बाग, मलेरकोटला, मारफत शेयर होल्डर.

भवंश्री प्रेम कुमार पुत्र परशोतम लाल, श्रीम प्रकाश पुत्र तेलू राम, श्रीमती फूला रानी पत्नी श्रीम प्रकाश, सुरिन्दर कुमार पुत्र श्रीम प्रकाश, अश्विन्दर कुमार पुत्र श्रीम प्रकाश, वाली मलेरकोटला (सट्टा बाजार), और श्रीमती विश्वा बति पत्नी वचनना राम वाली गांव बनभोरा, श्री राहुत हुसैन पुत्र सलामत उल्ला, मलेरकोटला और बेनत सिंह पुत्र जंगल मिह वाली बीर अहमदाबाद।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशंका:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना का गमिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 कनाल है और जो दिलावर बाग, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला जिला संगरूर में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलेरकोटला के कार्यालय के विलेख संख्या 1945 दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रंजन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर

प्ररूप धार्ई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक, 21 अगस्त 1978

निदेश सं० एमकेएल/21/77-78/—अतः मुझे, नत्थू राम,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 19.2/  
मरले है (1777.7/9 वर्ग गज) है तथा जो दिलाबर बाग,  
नजदीक पुराना बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलेरकोटला में, रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, दिनांक  
दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कबिन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने  
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) वेगम साहिबा मूनबर-उल-निशा पत्नी नबाब  
मुहम्मद इफतिखार अली खान साहिब नजदीक बस  
स्टैंड, मलेरकोटला।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री तरसेम चन्द और हल्दू राम पुत्र श्री नाथी  
राम मुहल्ला भाठिरियां, मलेरकोटला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही  
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 19.2/5 मरले है  
(1777.7/9 वर्ग गज) और जो दिलाबर बाग, नजदीक  
पुराना बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलेरकोटला  
के कार्यालय के अखिलेख संख्या 2004, दिसंबर 1977 में दर्ज  
है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रजन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269B (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० जगराऊं/28/77-78—अतः मुझे, नरथू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269B के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपय से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है तथा जो अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिनियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चिन्त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ठिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269B के अनुमरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269B की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र लाल सिंह वासी अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना।  
(अन्तरक)

(2) श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र कर्म सिंह, वासी अगबार पोना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3707, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

नरथू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, लुधियाना

दिनांक: 21 अगस्त 1978

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को

धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निवेश सं० जगराऊं/29/77-78—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है तथा जो अगवार लदाही, तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की श्रावण उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य वास्तियों का, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात् :-

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी गांव अगवार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना

(अन्तरक)

(2) दलीप सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह वासी अगवार पीना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना।

(अन्तरिती)

तो यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में ममान्य होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विधा गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव अगवार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3708, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर:



प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निवेण सं० जगराऊं/34/77-78—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ₹० से अधिक है,

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है तथा जो अगबार लदाही तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5-236GI/78

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (अन्तरक)

(2) सर्व श्री, कुलबीर सिंह, अवतार सिंह बलवन्त सिंह और कुलवन्त सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिंह गांव अगबार पौना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव अगबार लदाही, तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3987, दिसम्बर 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज लुधियाना,

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० जगराऊं/35/77-78/—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० में अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है तथा जो अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1977 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चय में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या नससे बचने में मुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी कियी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी गांव अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (अन्तरक)

(2) सर्वश्री लखा सिंह, बहादुर सिंह, जलौर सिंह, और बलौर सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह वासी गांव अगबार पौना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव अगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3988 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)

नत्थू राम  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निवेश सं० जगराऊं/31/77-78—अतः मुझे, नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० में अधिक है

और जिसकी सं० तीन मंजिला मकान (दुकान) जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है या 390 वर्ग फुट, तथा जो रेलवे रोड जगराऊं में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रोतेज बहादुर पुत्र श्री छज्जू राम, वासी रेलवे रोड, जगराऊं, तहसील लधियाना

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री सत प्रकाश व राजिन्दर पाल पुत्र श्री हेम राज, वासी राम नगर, जगराऊं, जिला लधियाना

(अन्तरिती)

(3) 1. मैसर्ज पंजाब कलाथ स्टोरज, रेलवे रोड, जगराऊं जिला लधियाना ।

2. मैसर्ज नवीन कलाथ स्टोर, जगराऊं ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में क्रिय जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तीन मंजिला मकान (दुकान) जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है और जो रेलवे रोड, जगराऊं में स्थित है ।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जगराऊं के कार्यालय के बिलेख संख्या 3787, दिसंबर, 1977 में दर्ज है) ।

नत्थू राम,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लधियाना ।

दिनांक: 21 अगस्त 1978

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना दिनांक 21 अगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/आर/90/77-78/—अतः मुझे, नत्थू  
राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार  
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 16  
कनाल है तथा जो गांव हीरां, तहसील ब जिला, लुधियाना  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में,  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
दिनांक जनवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री दया सिंह, वासी  
गांव हीरां, तहसील ब जिला लुधियाना  
(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन कुमार पुत्र रत्न चन्द, वासी 534/बी-  
कालज रोड, सिविल लाइन, लुधियाना।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल है और  
जो गांव हीरां, तहसील ब जिला, लुधियाना में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के  
कार्यालय के विलेख सं० 5330, जनवरी, 78 में दर्ज है)।

नत्थू राम,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जुन रेंज, लुधियाना।

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मीहर :

प्रकृप आई० टी० एम० एस

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक, 21 अगस्त 1978

निवेश सं० अमलोह/19/77-78—अतः मुझे, नत्थू राम घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद जिसमें एक कमरा और एक गोदाम और खाली जगह है जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है तथा जो शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्द गढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय घायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

(1) श्री सखिन्दर नाथ पुत्र श्री कौर सैन, वासी शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्द गढ़, जिला पटियाला।

(अन्तरक)

(2) श्री राम अचतार पुत्र श्री जहरी लाल, वासी शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्द गढ़, जिला पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायेदाद जिसमें एक कमरा, एक गोदाम और कुछ खाली पलाट है का कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है और जो शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्द गढ़, जिला पटियाला में स्थित है।

(जायेदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमलोह के कार्यालय के विलेख सं० 1146, दिसम्बर 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्राकृत धाराई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269 ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 अगस्त 1978

निर्देश सं० एस० एन०एम० 146/77-78—अतः मुझे  
नत्थू राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)  
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की  
धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- ₹ से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 44 कनाल  
12 मरले है तथा जो रकबा सुनाम में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुनाम में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर  
1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए प्रस्तुत की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से  
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती)  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक में हुई किसी भाग की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य धातियों को,  
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करनैल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह वासी सुनाम  
टिबी, जिला संगरूर

(अन्तरक)

(2) श्री जीत सिंह पुत्र श्री बुध सिंह वासी सुनाम,  
जिला संगरूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में  
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही  
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 44 कनाल 12 मरले  
है और जो रकबा सुनाम, जिला संगरूर में स्थित है।

(जयोदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुनाम के  
कार्यालय के विलेख सं० 2380, दिसंबर, 1977 में दर्ज  
है)।

नत्थू राम

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली -1

4/14क, आसफ़अली रोड़, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1319/78-79/2151—अतः मुझे, कवरजीत सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या डी-55 है तथा जो बाली नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्कर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908) का 16) के अधीन दिनांक 19-12-1977 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिसियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमर नाथ अरोड़ा, सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द अरोड़ा निवासी 2/264, तिहार, सुभाष नगर, नई दिल्ली । (अन्तरक)

(2) श्री मधु सभनानी, श्री त्रिलोक सभनानी, सुपुत्र श्री हेमन दास, निवासी ई-402, रामेश नगर, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

### अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० 55, ब्लॉक नं० 'डी' है और क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज है, बाली नगर कालोनी, बसाए वारापुर गांव, दिल्ली नगर निगम की सीमा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 30' सड़क

पश्चिम : प्लॉट नं० 249, राजा गार्डन

उत्तर : 30' सड़क

दक्षिण : 30' सड़क

कवरजीत सिंह  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक 11-8-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली दिनांक 18 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/दिसम्बर-38-3456/  
78-79/2300—अतः मुझे, कबरजीत सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सशम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 396/12 है तथा जो लाल कटरा, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-12-1977

को पूर्वोक्तसम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से ऐसे वृष्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ज्ञान चन्द, सुपुत्र श्री खेम चन्द निवासी 396, लाल कटरा वार्ड नं० 12, सब्जी मण्डी, दिल्ली ।  
(अन्तरक)

(2) श्री बुद्ध राम, सुपुत्र श्री असा राम, निवासी, झुग्गी नं० 294, गली अखाड़े वाली, कबीर बरती, मलका गंज रोड, सब्जी मण्डी, दिल्ली ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक टुकान जो कि 32\*25 वर्ग गज क्षेत्रफल के ऊपर बनी हुई है, जिसका नं० 396/12 है, लाल कटरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : श्री जगवीश लाल की जायदाद

पश्चिम : मैन रोड

उत्तर : दयावती की जायदाद

दक्षिण : डा० राम रक्खामल की जायदाद

कबरजीत सिंह

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक 18 अगस्त 1978

मोहर:



प्ररूप आई० टी० एम० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-I दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

दिनांक 11 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-111/336/  
फरवरी-9/77-78/2158—अतः मुझे, जे० एम० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित  
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं० ई-529 है तथा जो लाजपत नगर-II, नई  
दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में  
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन दिनांक 2-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि-  
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के  
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य धास्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः, धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्त-  
सरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा  
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री एस० करतार सिंह, सुपुत्र स्वर्गीय श्री एस०  
हरनाम सिंह, निवासी ई-29, लाजपत नगर-II  
नई दिल्ली-1 (लेकिन अब ए-1/13, सफदरजंग  
एनकलब, नई दिल्ली के निवासी है)

(अन्तरक)

(2) श्री रमेण पंजाबी तथा दृष्यन्त पंजाबी, सुपुत्र श्री  
कन्हैया लाल पंजाबी, निवासी ई-28, लाजपत  
नगर-II, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही  
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 200 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट  
पर बना हुआ है, जिसका नं० 29, ब्लॉक नं०, 'ई' है, लाजपत  
नगर-I नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : खुला

पश्चिम : मकान नं० ई-11/30

उत्तर : सर्विस लेन

दक्षिण : पार्क

जे० एस० गिल

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-I दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 11 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I दिल्ली-1

4/24 क, आसफ़अली मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक 24 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० एज० सी०/एक्यू०/11/दिसम्बर-27/663/78-79/2382—अतः मुझे, कवरजीत सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या सी-4/5 र तथा जो कृष्ण नगर, चौदली गांव, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में से, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) स्वर्ण सिंह, सुपुत्र श्री गुरदियाल सिंह, निवासी मकान न० ए-1, शंकर नगर, दिल्ली-51 (अन्तरक)

(2) श्रीमती रामेश कुमारी, पत्नी श्री मोती सागर, निवासी मकान न० ई-15/7, कृष्ण नगर, दिल्ली-51 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धाक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद न० सी 4/5 जिसका क्षेत्रफल 158. 1/3 वर्ग गज है, कृष्ण नगर, चौदली गांव, शाहदरा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : जायदाद का शेष भाग

पश्चिम : प्लॉट न० सी-3/5

उत्तर : प्लॉट न० सी-4/1

दक्षिण : रोड़

कवरजीत सिंह

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 24 अगस्त 1978

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269B (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/दिसम्बर-6/642/

77-78/2382—अतः मुझे, कंवरजीत सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० दुकान नं० 42 है तथा जो मोहल्ला गाज्जू कटरा, बड़ा बाजार, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृद्धमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृद्धमान प्रतिफल से ऐसे वृद्धमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में मास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269B के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269B की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रघुनाथ राय शर्मा, सुपुत्र श्री एच० आर० शर्मा निवासी मकान नं० 35ए, ईस्ट अजाद नगर दिल्ली-51।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्यामो देवी, पत्नी श्री हर सारूप शर्मा निवासी कर कर डूमा गांव, शाहदरा, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अशोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

दुकान जिसका नं० 42, बार्ड नं० 5 है, और क्षेत्रफल 50 वर्गगज है, मोहल्ला गाज्जू कटरा, बड़ा बाजार, शाहदरा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : दुकान नं० 43

पश्चिम : दुकान नं० 41

उत्तर : बड़ा बाजार

दक्षिण : दुकान नं० 44

कंवरजीत सिंह

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 24 अगस्त 1978

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०-----

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेज-II, दिल्ली

4/14 क, आसफअली मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/दिसम्बर-83/3497/  
77-78/2332—अतः मुझे, कंवरजीत सिंह  
घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
₹ से अधिक है  
और जिस की सं० दुकान नं० 4 है तथा जो मल्का गंज,  
मैन रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध  
अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर, 1977 को  
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वास्तव उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अथवा प्राप्ति  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ब के अनु-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ब की उपधारा  
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सतोष कपूर, पत्नी श्री (स्वर्गीय) जी०  
एल० कपूर, निवासी डी-1/21, लाजपत नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरचरण सिंह पाहवा, सुपुत्र श्री रतन सिंह  
(2) श्रीमती कमलेश पाहवा बनाम श्रीमती कमलेश  
रानी पाहवा, पत्नी श्री गुरचरण सिंह पाहवा,  
निवासी-पी-11, मलका गंज, सब्जी मण्डी, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रजन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के ग्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बराबर में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

दृष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अन्वय 20-क में  
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस  
अन्वय में दिया गया है।

#### अनुसूची

एक दुकान जिसका नं० 4 है और क्षेत्रफल 55 वर्ग  
गज है, मैन रोड, मलकागंज सब्जी मण्डी, दिल्ली में निम्न-  
प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : पार्क  
पश्चिम : रोड  
उत्तर : दुकान नं० 2 तथा 3  
दक्षिण : दुकान नं० 5

कंवरजीत सिंह  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)  
ग्रजन रेज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 24 अगस्त 1978

मोहर :

प्रत्येक भाई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग,

नई दिल्ली दिनांक 24 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/दिसम्बर-42/3460/  
78-79/3380—अत. मुझे, कंवरजीत सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु० में अधिक है

और जिस की सं० प्लॉट नं० 27, रोड़ नं० 18, क्लास  
'डी', पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध  
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के  
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी धाय की बाबत; उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 1—

(1) श्रीमती राम बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री एस० प्रेम  
सिंह, निवासी मकान नं० 12, ईस्ट एवेन्यू  
रोड़ पंजाबी बाग, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री किरोड़ी राम, सुपुत्र श्री लखी राम, निवासी  
एम-40 किर्ती नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

प्लॉट जिसका नं० 27, रोड़ नं० 18 है और क्षेत्रफल  
367.26 वर्ग गज है, क्लास 'डी' की पंजाबी बाग कालौनी,  
बसाएदारापुर गांव, दिल्ली राज्य, दिल्ली नगर निगम की  
सीमा के अन्तर्गत, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित  
है:—

पूर्व : सर्विस लेन

पश्चिम : रोड़ नं० 18

उत्तर : प्लॉट नं० 25

दक्षिण : रोड़ नं० 11

कंवरजीत सिंह

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 24 अगस्त 1978

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एम० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग,

नई दिल्ली दिनांक 26 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/78-79/—प्रतः मुझे,  
कंवरजीत सिंह

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से  
अधिक है

और जिसकी संख्या 14/11185 है तथा जो डोरीवाला  
करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध  
अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-11-77 को  
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल  
के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय को बाबत, उक्त अधिनियम  
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को  
जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम  
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मतवाल चन्द पुत्र श्री गणपत राई 18-ए/  
14 डोरीवालान, करोल बाग नई दिल्ली  
(अन्तरक)

(2) श्रीमती कौशल्या देवी आईफ श्री अतार चन्द  
18-ए/14 डोरीवालान करोल बाग, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
सिधे कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन  
की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसाबद  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अभिभाजित आधा भाग मकान नं० 14/11185 जो  
कि मूनसीपल नं० 18-ए/14 डोरीवाला करोल बाग में नई  
दिल्ली में है जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग गज है और जिसके  
चारों तरफ निम्न प्रकार से है :—

उत्तर : सड़क

दक्षिण : मकान नं० 18ए/13

पूर्व : सड़क

पश्चिम : सर्विस लैन

कंवरजीत सिंह  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 26 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III

4/14 क, आसफगली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०/III/एस०आर-III/दिसम्बर/812(4)/77-78—अतः मझे, डी० पी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की संख्या 16/4400 है तथा जो प्लॉट नं० 1385, ब्लॉक 'एफ' गली नं० 56/57, बस्ती रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्वं रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6-12-77 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री चुन्नी लाल, सुपुत्र श्री बंसी राम, निवासी 57/4400 गली नं० 56/57, रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री जगदीश कुमार तनेजा, सुपुत्र श्री बोध राज, निवासी 3ए/41, डब्लू० ई० ए०, सत नगर, करौल बाग, नई दिल्ली (2) श्री दत्त प्रकाश रलन, सुपुत्र श्री खांडू राम, निवासी बहादुरगढ़ रोड़, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

(3) श्री रविन्द्र प्रकाश, निवासी 16/4400, ब्लॉक नं० एफ, गली नं० 56/57, प्लॉट नं० 1385, रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की आवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की आवधि, जो भी आवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

### अनुसूची

मकान जोकि 50 वर्ग गज क्षेत्रफल के ऊपर बना हुआ है, इसके साथ में ठाई मंजिला पक्की बिल्डिंग भी बनी हुई है, मकान नं० 16/4400, गली नं० 56-57, ब्लॉक नं० 'एफ', खेवट नं० 1, मिन खौतोनी नं० 1420 है, जमाबन्दी 1971-72 है, बस्ती रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लॉट नं० 1386

पश्चिम : प्लॉट नं० 1384

उत्तर : गली

दक्षिण : गली

डी० पी० गोयल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 26 अगस्त, 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली 1

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए.क्यू०/III/एस० आर०-II  
दिसम्बर/1569(2)/77-78—अतः मझे, डी० पी० गोयल  
धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
₹० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० डी/14 है, तथा जो टैगोर गार्डन,  
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में  
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन दिनांक 3-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)  
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धन्य धास्तियों,  
को जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के  
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ  
की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों धर्यात :—

(1) श्री हरबंस सिंह बक्शी, सुपुत्र श्री मुरारी सिंह  
निवासी 5/1, सिंह सभा रोड़, सब्जी मण्डी, दिल्ली 1  
(अन्तरक)

(2) श्री सतपाल सिंह चावला, सुपुत्र श्री गुरदित सिंह  
चावला, निवासी एफ० डी/14, टैगोर गार्डन, नई  
दिल्ली 1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो धायकर  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

एक मकान जोकि 149.33 वर्ग गज क्षेत्रफल के फ्रीहोल्ड  
प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, जिसका नं० डी-14, ब्लॉक नं० 'एफ'  
है, जो कि नजफगढ़ रोड़ स्कीम के नक्शे में, लेकिन अब जो टैगोर  
गार्डन के नाम से जाना जाता है, तातरपुर गांव, दिल्ली राज्य,  
दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत, नई दिल्ली में निम्न  
प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 15

पश्चिम : जायदाद नं० 13

उत्तर : खला

वक्षिण : 36' रोड़

डी० पी० गोयल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 26 अगस्त 1978

मोहर :



प्रकृत प्राई० टी० एन० एस०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 12 अप्रैल 1978

निदेश सं० 165ए/अर्जन/महाराजपुर/77-78/206— अतः

मुझे, आर० पी० भार्गव

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों, को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

7-236GI/78

(1) श्री जौहरी लाल पुत्र वृज लाल निरंजनी अखाड़ा क्वार्टर्स हरिद्वार परगना ज्वालापुर जिला महाराजपुर (अन्तरक)

(2) श्री त्रिलोक चन्द नथर पुत्र राम चन्द नथर, मदन लाल नथर पुत्र राम चन्द नथर देवराज नथर पुत्र त्रिलोक चन्द नथर एवं श्याम भूषण नथर पुत्र मदन लाल नथर नि० 351-आर, माडेल टाउन लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी शक्यता :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि 23,000 वर्ग फुट स्थित रुड़की हरिद्वार रोड रानीपुर टनिंग के पास 1,15,000/- के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव

सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण

दिनांक : 12 अप्रैल 1978

अर्जन रेंज, कानपुर

मोहर :

प्र रूप आई० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जून 1978

सं० फं० आय० ए० सी०/अर्जन/69/78-79—यतः मुझे,  
ह० च० श्रीवास्तव

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सं० नं० 10/12 है तथा जो इतवारी, नागपुर में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 22-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाशचन्द्र नथूलालती अग्रवाल, किराणा ओली, इतवारी, नागपुर

(अन्तरक)

(2) श्री गोविंद राम तुलसीवास मुगंध, जवाहर नगर, कोटा कालोनी, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल नं० 10/15, पूरा एरिया 52.45 मीटर, इतवारी, नागपुर

ह० च० श्रीवास्तव  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 19 जून, 1978

मोहर :

प्ररूप धार्द० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)



अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जून 1978

निर्देश क्र० आय० ए० सी०/अर्जन/68/78-79—यतः मुझे,  
एच० सी० श्रीवास्तव  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),  
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह  
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका  
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं० मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल  
नं० 10/15 है तथा जो किराणा ओली, इतवारी में स्थित है (और  
इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 22-12-77 को  
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित  
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान  
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक  
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने  
में सुविधा के लिए;

अतः, धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के  
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की  
धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाशचन्द्र नथूलालजी अग्रवाल, किराणा ओली,  
इतवारी, नागपुर

(अन्तरक)

(2) सौ० राधादेवी मगनलाल सुगंध, जवाहर नगर, कोटा  
कालोनी, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,  
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर  
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल नं० 10/15,  
किराणा ओली, इतवारी, नागपुर

एच० सी० श्रीवास्तव

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 19 जून 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक 23 अगस्त 1978

निदेश नं० 1918 ए/अर्जन/महारनपुर/77-78/2257—अतः  
एल० एन० गुप्ता मुझे

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनु-में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 30 दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री श्रीम प्रकाश पुत्र राम स्वरूप मोदीनगर तहसील जिला गाजियाबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रामकली स्त्री रतनलाल, शरद कुमार (नाबालिग) पुत्र किशन दास बबिलायत व सरपरस्ती श्रीमती शकुन्तला देवी (मां) निवासी पुष्पापुरी, हापुड व राकेश कुमार व सुधीर कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी कृष्ण गंज, हापुड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

शुष्कीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

अचल सम्पत्ति जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज, जनरल मिल व भूमि है जिसका कि पुराना नाम बिरमानी कोल्ड स्टोरेज व जनरल मिल्स व वर्तमान नाम राज कोल्ड स्टोरेज है जो कि लिसारी गेट मेरठ में स्थित है 220000' में बेची गई।

एल० एन० गुप्ता  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 19 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 अगस्त 1978

निदेश सं० 1638/अर्जन/सहारनपुर/77-78—अतः मुझे  
एल० एन० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)  
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की  
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के  
अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची  
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय रुड़की में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरित्री (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक  
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या धन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरित्री द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्त-  
सरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मुख्खा व मंगू पुत्रगण जम्मा निवासी आनेकी  
हेतमपुर डा० औरंगाबाद प० व० त० रुड़की जिला  
सहारनपुर

(अन्तरक)

(2) श्री अमाराम पुत्र सफदू एवं नन्द किशोर पुत्र आसाराम  
नि० आनेकी हेतमपुर तहसील रुड़की जिला सहारनपुर

(अन्तरित्री)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—उपरोक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है  
की अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि 21 बीघा एवं 18 बिस्वा खाता नं०  
435 एवं 114 स्थित ग्राम सलेमपुर महदूद तहसील रुड़की जिला  
सहारनपुर 15,000) के विक्रय मूल्य में बेची गई।

एल० एन० गुप्ता

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 23 अगस्त 1978

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०-----

- (1) श्री सि० मस्तानाया गोविन्दमपाडु (अन्तरक)  
(2) श्रीमती टि० कुसुमकुमारी नूजवीडा (अन्तरिती)

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक धायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 6 अप्रैल 1978

सं० 652--यतः मुझे एन० के० नागराजन

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एन० 216 है, जो नूजवीडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध, अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नूजवीडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-12-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;  
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नूजवीडा रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेजनं० 4353/77 में विगमित अनुसूची संपन्न)

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक धायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक : 6-4-1978  
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री सी० मस्तानध्या गोगिनमपाडु। (अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती टि० कुसम कुमारी नूजवीड। (अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

अर्जन रेंज, काकीनाडा

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

काकिनाडा, दिनांक 6 अप्रैल 1978

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्याधर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में  
किए जा सकेंगे।

सं० 653—यतः मुझे एन० के० नागराजन,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्याधर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए  
से अधिक है,  
और जिसकी सं० 216 है, जो नूजवीड में स्थित है (और  
इससे उपायध्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नूजवीड में भारतीय  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
27-12-1977

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार  
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई  
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त  
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से  
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक  
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण  
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त  
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया  
है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम,  
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या धर्म्य धास्तियों को,  
जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,  
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती  
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना  
चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

नूजवीड रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षिक अंत 31-12-77  
में पर्जोक्त दस्तावेज नं० 4352/77 में निगमित अनुसूची  
सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

अतः, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ के अनुसरण में  
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा. (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, यथाहूँ :—

तारीख : 6-4-1978.

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम० -----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 20 अप्रैल 1978

सं० 664— यतः मुझे एन० के नागराजन, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2/134 है, जो इन्दुपल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ प्राप्ति को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अमु-सरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्रीमती वी० सबनी कुमारी इन्दुपल्ली । (अन्तरक)
- (2) श्री वी० बाबुराव चिना अबुटपल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अर्थात् 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

#### अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री प्राधिकारी से पौखिक अंतः 15-9-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3298/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक: 20-4-1978  
मोहर:



## प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 718—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 8-20-17 है, जो काकीनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में उचित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहे या, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—  
8-236GI/78

1 (1) श्री आर० बेंकटामानन्दा राव (2) आर० अप्पाराव  
(3) सी-एच० बेंकटा सुब्बालक्ष्मी (4) टी० प्रभावती  
(5) जी० पार्वती (6) सी-एच० त्रिपुरासुन्दरी—  
हैदराबाद। (अन्तरक)

2. श्रीमती अमलम मंगयम्मा काकीनाडा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धारणा:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पौषिक अंतः 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6757/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख: 28-7-1978

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 719—यतः मुझे एन० के० नागराजन,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०  
से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० 413/3 और 417 है, जो कलवचाली  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण  
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908  
का 16) के अधीन 7-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया  
प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिसे, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या  
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्ताः—

1: (1) श्री एम० रामचन्द्रामूर्ती (2) श्री एन० सेशागिरिराव  
(3) श्रीमती एम० दुरगम्मा—वेलंगी । (4) एम०  
रामाचन्द्राव, काकीनाडा । (अन्तरक)

2. श्रीमती एस० पद्माकेसरी राजामुन्दी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तन्म्यबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धर्मोदस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पौक्षिक अंतः 15-12-77  
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6519/77 में निगमित अनुसूची  
सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, काकीनाडा

दिनांक : 28-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 720—यतः मुझे एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 8-3-73 है, जो काकीनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-12-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसा किसी धाय या किसी धन या अन्य वास्तविक को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री सी० माधवाराव (2) श्रीमती सी० कमलम्मा (3) श्री सी० प्रभाकरराव (4) श्री सी० सुदर्शनराव—काकीनाडा। (अन्तरक)
2. श्री एम० एम० काले मोतुगुडेम। (अन्तरिती)
3. श्री ए० के० मोहन, काकीनाडा। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग से सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षिक अंतः 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6493/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 28-7-1978  
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 721—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० सुगर फेक्ट्री है; जो ऐपुरु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ऐलुरु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसूची में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री बलाजी खानदासारी सुगरस (पार्टनर्स) (1) श्रीमति पि० धनलक्ष्मी राज्यम (2) श्री अबिरनेनि रामासास्त्रुलु (3) श्रीमति लि० कमलादेवी (4) श्री एन० श्रीरंगदासु (5) श्री एस० गोपाला-कृष्णय्या (6) श्रीमति ए० शेपांबा (7) श्री सि० एच० राधाकृष्णमूर्ति (8) श्रीमति जि० सारदांबा (9) श्री के० रामाकृष्णय्या (10) श्रीमति पि० केदारम्मा (11) श्री ए० ताराका भ्रह्मम (12) श्री जि० गोपिराजु (13) श्री वि० रामाचन्द्रराव (14) डा० एस० के० एम० एन० प्रसाद (15) श्री ए० वेंकटा रंगाराव (16) श्री ए० सोमय्या (17) श्री बि० रामाकोटय्या (18) श्री एन० सत्यनारायण (19) श्री एस० कुट्टमबराव । (20) जि० पि० ए० हॉल्डर्स (1) श्री एस० कुट्टमबराव विजयवाड़ा (2) पि० वीरराघवय्या, गुडिवाडा

(अन्तरक)

2. जया खानदासारी सुगरस (पि) लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी० अनजय्या ऐपुरु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

ऐलुरु रजिस्ट्री अधिकारी से पंक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3974/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 28-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० 729—यतः मुझे एन० के० नागराजन  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०  
से अधिक है

और जिसकी सं० 17/31-1-8 है, जो काकीनाडा में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
5-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत  
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-  
रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में  
कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को  
बिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,  
1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अन्तरिती  
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए  
या, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,  
मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के  
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री पि० वेंकटरमण (2) पि० सत्यभारायण-  
मूर्ती (3) पि० विजयकुमार (4) पि० रामकृष्ण (5) पि०  
सूर्या संकरा साई (6) श्रीमती पि० सीतामहालक्ष्मी, काकीनाडा ।  
(अन्तरक)

2. (1) श्री नारायणदास केमचन्द मंकानी (2) पुरुषोत्तम  
मंकानी काकीनाडा ।  
(अन्तरिती)

3. (1) सोना काकीनाडा (2) सदरन एजनसीस  
काकीनाडा (वह व्यक्ति जिसके अधिभेग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-  
भाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय  
में दिया गया है ।

अनुसूची

काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी में पांक्षिक अंत 15-12-77  
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6496/77 में निगमित अनु-  
सूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 4-8-1978.

मोहर :

प्रकृष माई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० 730— अतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 27-18-16 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री (1) एस० प्रसादराव (2) एस० एल श्रीबाथम्मा विजयवाडा (अन्तरक)

(2) श्री पि० लीलाराम विजयवाडा (अन्तरिती)

(3) असिस्टेन्ट डैरक्टर आफ इन्डस्ट्रीस (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को रद्द रूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें संयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3549/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, काकीनाडा

तारीख 4-8-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 731—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12-10-6 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रार्थितः—

(1) श्री बे० संकरनारायण सास्त्री (2) वै० लक्ष्मीनरसिंह मूर्ती (3) वै० श्रीनिवास कुमार (4) वै० रवि लक्ष्मी नारायण विजयवाडा (अन्तरक)

(2) श्री जे० फूलचन्द एन्ड को० (1) जगदीश एफ० मोडी (2) रमेश एफ मोडी (3) प्रकाश एफ० मोडी (4) टरीन एफ० मेडी विजयवाडा । (अन्तरिती)

(3) गुरुदत्त एन्ड को० विजयवाडा (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामोल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाढ में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पांशिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3546/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ती।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख 5-8-78

हरमोः

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 732—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 2/90 है, जो नूजवीड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नूजवीड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती वि० कमलवतम्मा विजयवाडा (अन्तरक)

(2) श्री के० वेंकटा रमेश कृष्णण नूजवीड (अन्तरिती)

(3) ए० पि० एस० ई० बोर्डे नूजवीड (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नूजवीड रजिस्ट्री अधिकारी से पॉथिक अंत 31-12-77 में पंजीकृत वस्तावेज नं० 4360/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 5-8-1978

मोहर :



प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 14 अगस्त 1978

सं० 734—यतः मुझे एन० के० नागराजन  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये  
से अधिक है,

और जिसकी सं० 45-23-23 ए है, जो राजमन्डी में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्डी में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन  
6-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है  
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से  
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया  
है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम,  
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने  
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को  
जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना  
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,  
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,  
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-  
9-236GI/78

- (1) श्री (1) वि० बालाराजु (2) वि० सूर्याकितम  
राजमन्डी (अन्तरक)  
(2) श्री नीलम साईबाबा राजमन्डी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद से  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी  
व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में  
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

राजमन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पंक्षिक अंत 15-12-77  
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4688/77 में निगमित अनुसूची  
सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख 14-8-1978  
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 735—यतः मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11-62-21 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृथमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों,

1. श्री डि० मस्युनजय सारद्री विजयवाडा (अन्तरक)
2. श्री (1) विमकादेवी (2) धनपतिराज विनयवाडा (अन्तरिती)
3. (1) श्री के० मोहनराव (2) ए० दुर्गा राव (3) विजयदुर्गा लारी ट्रान्सपोर्ट विजयवाडा (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3518/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रजन रेज, काकीनाडा

तारीख : 16-8-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 736—यस: मुझे, एन० के० नागराजन,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए  
से अधिक है

और जिसकी सं० 11-62-21 है, जो विजयवाडा में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में  
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन 8-12-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल  
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है  
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से  
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया  
है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम  
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,  
या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं  
किया गया था या किया जाना चाहिए था,  
छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के  
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्री डि० रमना सर्मा विजयवाडा (अन्तरक)

2 श्रीमती विमला देवी (2) धनपतिराज विजयवाडा  
(अन्तरिती)3 श्री के० मोहन राव (2) ए० दुर्गाराम (3)  
विजय दुर्गा लारी ट्रासपोर्ट विजयवाडा । (वह व्यक्ति जिसके  
अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में  
किए जा सकेंगे ।

स्वच्छोकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,  
वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-12-  
77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 3517/77 में निगमित अनुसूची  
संपत्ति ।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, काकीनाडा

तारीख 16-8-78

मोहर :

प्ररुष आई० टी० एन० एस०  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 737—यतः मुझे एन० के० नागराजन,  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
 इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ  
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण  
 है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
 रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 11-62-21 है, जो विजयवाडा में स्थित  
 है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
 है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में  
 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
 के अधीन 8-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
 मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)  
 और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
 तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
 लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
 अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
 दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
 के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,  
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या  
 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
 सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1 (1) श्री डि० राधाकृष्णन मूर्ति (2) डि०  
 समत कुमार विजयवाडा (अन्तरक)

2 (1) श्रीमति विमला देवी (2) धनपतराज विजयवाडा  
 (अन्तरिती)

3 श्री के० मोहनराव (2) ए० दुर्गराव (3)  
 विजय दुर्गालारी ट्रान्सपोर्ट विजयवाडा। (यह व्यक्ति जिसके  
 अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
 कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
 अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
 अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
 हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
 गया है।

### अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 15-12-  
 77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3516/77 में विगमित अनु-  
 सूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख 16-8-1978

मोहर:

प्रकृष माई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 739—यतः मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 26-9-28 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारका अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अस्तरिती (अस्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्री के० वेंकटेशम विजयवाडा (अन्तरक)  
(2) श्री एम० गुरुनाधराव विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 30-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3592/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
एम० वि० अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख 16-8-1978

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 740—यतः मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टि० एम० नं० 77ए है, जो वैजाग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैजाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करन या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः प्रथम, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती स्मिति बेनरजी कलकता (अन्तरक)

(2) श्रीमती येहा जयप्रदा वैजाग (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4374/77 में निर्गमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन

सक्षम प्रा कारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

एम० वि० अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख 16-8-1978

मोहर :

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 31st August 1978

No. F. 22/78-SCA(G).—In pursuance of sub-rule (3) of rule 4 of Order II of Supreme Court Rules, 1966 as amended, and in partial modification of this Registry's Notification No. F. 22/78-SCA(G) dated the 19th November, 1977, it is hereby notified that the Court and its Registry will be closed on Tuesday, the 5th September, 1978 on account of Id-ul-Itir instead of on Wednesday, the 6th September, 78.

By Order.  
R. NARASIMHAN,  
Registrar (Judicial)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 8th August 1978

No. A. 32014/1/78-Admn. III(1).—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officer on *ad-hoc* basis for the periods indicated against each or until further orders, whichever is earlier :—

S. No., Name & Period for which promoted as Section Officer

1. Shri Jai Narain—for a further period from 30-7-78 to 1-9-78.
2. Shri B. L. Sharma—from 18-7-78 to 1-9-78 (46 days).

No. A. 32014/1/78-Admn. III(2).—In continuation of this office notification of even number dated 27-6-78 the President is pleased to appoint Shri S. K. Arora, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission and working as Desk Attache, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 28-7-78 to 1-9-78 or until further orders, whichever is earlier.

2. In pursuance of D.O.P. & A.R. O.M. No. 12/1/74-CS(I) dated 11-12-75, Shri S. K. Arora, for the period he officiates as Section Officer, has been re-designated as Desk Officer and will draw a Special Pay @ Rs. 75/- per month in addition to his pay as Section Officer.

The 9th August 1978

No. A. 12025(ii)/1/77-Admn. III.—Consequent on his nomination to the Ministry of Health and Family Welfare for appointment as Section Officer, Shri R. K. Mago, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission and officiating as Section Officer on *ad-hoc* basis *vide* Union Public Service Commission Notification No. A. 32014/1/78-Admn. III dated 21st July, 1978 has been relieved of his duties in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 9-8-1978.

P. N. MUKHERJEE  
Under Secy.

(Incharge of Administration)  
Union Public Service Commission

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 16th August 1978

## I

No. F. 2/41/78-Estt. (CRPF) (Pers. IV).—Consequent on his retirement on superannuation, Shri S. M. Ghosh, IPS (Bihar : 1943) relinquished Charge of the post of Director General, Central Reserve Police Force, on the afternoon of 31st July, 1978.

## II

The President is pleased to appoint Shri R. C. Gopal, IPS (UP : 1944) IG, CISF as Director General, Central Reserve Police Force, with effect from the afternoon of 31st July, 1978 until further orders.

C. CHAKRABORTY  
Director (Police)

## DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; A.R.

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 19th August 1978

No. J-8/65-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri J. N. Prabhakar, Dy. Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. to officiate as Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. in a temporary

capacity with effect from the forenoon of 29-7-78 (F.N.) and until further orders.

No. PF/H-40/66-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri H. B. D. Bajjal, Dy. Supdt. of Police, C.B.I./S.P.F. to officiate as Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31-7-78 and until further orders.

K. K. PURI  
Deputy Director (Admn.)  
C.B.I.

New Delhi, the 16th August 1978

No. B-7/65-Ad. V.—Shri Badri Sharma, Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment, expired on the night of 21st/22nd July, 1978.

M. K. AGARWAL  
Administrative Officer (A)  
C.B.I.

New Delhi, the 19th August 1978

F. No. A-19036/21/78-Ad. V.—The Director, C.B.I. & I.G.P., S.P.E. hereby promotes Shri J. N. Prasad, Inspector of Police, C.B.I. to officiate as Dy. Supdt. of Police in the C.B.I., SPE with effect from the forenoon of 31-7-78 in a temporary until further orders.

RIPDAMAN SINGH  
Administrative Officer (A)  
C.B.I.

New Delhi, the 19th August 1978

No. A-31014/1/78-Ad. I.—In exercise of the powers conferred by Rule 9(2) of the Central Civil Services (Classification, control and appeal) Rules, 1965, Director, Central Bureau of Investigation & I.G.P., S.P.E., hereby appoints Shri P. K. Biswas as a Junior Scientific Officer, CFSL in the CBI in a substantive capacity with effect from 8-5-78 (FN).

JARNAIL SINGH  
Administrative Officer (E) CBI

## DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 16th August 1978

No. O. II-1040/76-Estt.—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr. M. Sreenivasa Reddy, Junior Medical Officer (GDO; Gd. II) of 5th Bn., CRPF with effect from 1-7-78 (A.N.).

A. K. BANDYOPADHYAY  
Assistant Director (Adm.)

## OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 11th August 1978

No. E-38013(3)/1/77-Pers.—On transfer from Madras Shri D. K. Devaney assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit ISRO Thumba with effect from the forenoon of 25th July, 1978.

No. E-16014(2)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri R. M. Sharma, Dy. Commandant, BSF, assumed the charge of the post of Asstt. Inspector-General, CISF H. Qrs., New Delhi with effect from the forenoon of 26th July 1978.

The 18th August 1978

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Jhansi Shri M. K. Chopra assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, BIOP DEP. 5, Bachel with effect from the forenoon of 19-6-78.

NARENDRA PRASAD  
Asstt. Inspector-General (Pers.)  
CISF HQRS

## OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 21st August 1978

No. 10/13/76-Ad.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Alok Kumar Dutta as Assistant Director of Census Operations (Technical) on regular basis, in a temporary capacity, in the office of the Director of Census Operations, Lakshadweep, at Karavatti with his headquarters at Kavaratti, with effect from the forenoon of 30 June, 1978, until further orders.

P. PADMANABHA  
Registrar General, India

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I  
MADHYA PRADESH

Gwalior, the 5th August 1978

No. Admn. I/185.—The Accountant General-I, Madhya Pradesh has been pleased to promote the following permanent Section Officers as Accounts Officers in an officiating capacity in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the dates noted against each :—

S/Shri

1. T. N. Pandey (02/238)—31-7-78 Forenoon.
2. Puran Chand Gupta (02/239)—25-7-78 Forenoon.
3. Ramesh Chandra Saxena (02/240)—25-7-78 Forenoon  
S/o Shri Onkar Chandra.

KRISHNA GOPAL  
Senior Dy. Accountant General  
(Administration)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,  
KARNATAKA

Bangalore, the 9th August 1978

No. ESI/A4/78-79/362.—The Accountant General is pleased to promote the following officiating/permanent Section Officers to officiate as Accounts Officers in a purely temporary capacity until further orders, without prejudice to the claims of their seniors, if any, with effect from the date of their taking charge.

S/Shri

1. P. K. Ramakrishnan.
2. G. Manohar Rao.

M. A. SOUNDARARAJAN  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

## DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF  
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110 022, the 10th August 1978

No. 68018(2)/71-AN-II.—The President is pleased to appoint Shri R. Patnaik, an officer of the Indian Defence Accounts Service (on deputation to the Ministry of External Affairs as Financial Adviser), to officiate in the Senior Administrative Grade Level-I (Rs. 2500—125/2—2750) of that Service with effect from 10th July, 1978 (forenoon) until further orders, under 'Next Below Rule'.

The 19th August 1978

No. 29015(2)/78-AN-II.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Senior Time Scale of that Service

(Rs. 1100—50—1600) with effect from the dates shown against them, until further orders :—

Sl. No., Name of the Officer &amp; Date from which appointed

1. Shri Arun Sharma—22-7-1978 (Forenoon)
2. Shri Nand Kishore—22-7-1978 (Forenoon)
3. Smt. C. R. Vijayalakshmy Gupta—27-7-1978 (Forenoon)
4. Shri Jayaraman Natarajan—29-7-1978 (Forenoon).

V. S. BHIR  
Addl. Controller General of Defence Accounts

## MINISTRY OF LABOUR

## LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 6th September 1978

No. 23/3/78-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960=100 increased by three points to reach 330 (three hundred and thirty) during the month of July, 1978. Converted to base : 1949=100 the index for the month of July 1978 works out to 401 (four hundred and one).

TRIBHUVAN SINGH  
Deputy Director  
Labour Bureau

## MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS &  
EXPORTS

New Delhi, the 16th August 1978

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL  
(ESTABLISHMENT)

No. 6/337/56-Admn. (G)/5800.—On attaining the age of superannuation, Shri N. P. V. Nair, Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulam, Cochin relinquished the charge of that office on the afternoon of the 31st July, 1978.

The 17th August 1978

No. 6/442/57-Admn (G)/5778.—On attaining the age of superannuation, Shri J. N. L. Kudesia, an officer permanent in the Section Officer's Grade of the CSS, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st July, 1978.

K. V. SESHADRI  
Chief Controller of Imports & Exports

## DEPARTMENT OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY

## BOTANICAL SURVEY OF INDIA

## OFFICE OF THE DIRECTOR

Howrah-711103, the 25th March 1978

No. BSI-66/110/78-Estt.—On recommendation of the Union Public Service Commission, the Director, Botanical Survey of India is pleased to appoint Shri Pochister Kharkongor, Scheduled Tribe to the post of Botanist, Eastern Circle, Botanical Survey of India against a reserved vacancy of Scheduled Tribe vice Shri M. K. V. Rao (appointed as Systematic Botanist) on a pay of Rs. 650/- in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 2nd March, 1978 in a temporary capacity until further orders.

B. N. SEN GUPTA  
Sr. Administrative Officer

## DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN

New Delhi, the 17th August 1978

No. A-19012/15/78-SII.—The Director General, Doordarshan hereby appoints Sh. C. L. Nagri working as Head Clerk at Doordarshan Kendra, Srinagar to officiate on *ad hoc*



basis as Administrative Officer at Doordarshan, Kendra, Srinagar in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—880—40—960 w.e.f. 22-7-1978 (F/N) until further orders.

C. I. ARYA  
Dy. Director of Administration

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 14th August 1978

No. 29-5/75-Admn. I.—Shri P. A. C. Rao relinquished charge of the post of Administrative Officer in the National Tuberculosis Institute, Bangalore on the afternoon of 27th July, 1978.

No. A. 12025/48/76 (NMEP)/Admn. I.—Consequent upon his appointment to the post of S.S.O.I. in the Field Laboratory, Tezpur under the Ministry of Defence Shri P. R. Malhotra relinquished the charge of the post of Assistant Director (Ent.), National Malaria Eradication Programme, Delhi on the afternoon of 3rd July, 1978.

S. L. KUTHIALA  
Deputy Director Administration (O&M)

#### KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

#### VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 19th August 1978

F. No. 5-39/78-Estt. (I).—Consequent upon his appointment as Project Executive (FD) in National Dairy Development Board, Anand, on foreign service terms, Dr. P. K. Kole, Assistant Livestock Officer has relinquished charge of his post as Asstt. Livestock Officer in this Directorate w.e.f. 11-8-78 (A.N.)

I. J. KAPUR  
Director of Administration

#### DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

#### DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 19th August 1978

No. A. 31014/4/78-AI.—Shri K. S. Kamath is hereby appointed substantively to the permanent post of Junior Scientific Officer in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from the 30th March, 1976.

J. S. UPPAL  
Agricultural Marketing Adviser

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

#### DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 11th August 1978

No. DPS/23/9/77-Est/21255.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated June 2, 1978, Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri R. K. Vvas, Purchase Assistant of this Directorate to officiate as Assistant Purchase Officer on an *ad-hoc* basis in the same Directorate for a further period upto June 3, 1978.

The 17th August 1978

No. DPS/23(6)/78-Adm./21481.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri M. M. Nautiyal, Storekeeper to officiate as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 26-5-78 to 30-6-78 vice Shri V. K. Bokil, Assistant Stores Officer appointed as Stores Officer.

B. G. KULKARNI  
Assistant Personnel Officer

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 13th August 1978

No. PAR/0704/1592.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri S. C. Sharma, an industrial temporary Hindi Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on *ad-hoc* basis in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, from 19-7-1978 to 29-8-1978, or until further orders whichever is earlier.

U. VASUDEVA RAO  
Administrative Officer

#### OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL

#### AVIATION

New Delhi, the 18th August 1978

No. A. 32013/15/77-E. I.—The President is pleased to appoint Shri T. S. Venkataraman, Deputy Director (Communication) to the post of Director of Aeronautical Communication in an officiating capacity with effect from 31-7-78 (FN) and until further orders.

P. C. JAIN  
Assistant Director of Administration

#### COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Patna, the 19th August 1978

C. No. II(7)1-ET/77/8174.—The following Group "A" officers of Central Excise & Customs Collectorate, Patna have retired from service on Superannuation with effect from dates shown as indicated against each :—

| Sl. No., Name          | Designation & Date of superannuation                   |
|------------------------|--|
| (1) Sri S. N. Agarwal, | Superintendent Central Excise Group "A", 31-3-78 (AN). |
| (2) Sri S. N. Pal      | Superintendent Central Excise Group "A" 31-5-78(AN)    |

C. No. II(7)1-ET/77/8175.—The following Group "B" officers of Central Excise & Customs Collectorate, Patna have retired from service on superannuation with effect from dates & hour as indicated against each :—

| Sl. No., Name               | Designation & Date of superannuation |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) Sri P. N. Sinha         | A.C.A.O.C. Ex. 30-4-78               |
| (2) Sri S. K. Roy Choudhary | Supdt. C. Ex. 30-6-78                |
| (3) Sri K. K. Choubey       | Supdt. C. Ex. 30-6-78                |
| (4) Sri K. C. Srivastava    | Supdt. C. Ex. 30-6-78                |
| (5) Sri B. N. Jha           | Supdt. C. Ex. 30-6-78                |
| (6) Sri F. Dubey            | Supdt. C. Ex. 30-6-78                |

A. M. SINHA  
Collector  
Central Excise, Patna

#### DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT

#### CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 17th August 1978

C. No. 1041/54/78.—Shri Durga Prasad, lately posted as Asstt. Collector of Central Excise, Kanpur and on transfer to the Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central Excise vide Govt. of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) order No. 61/78 (F. No. A. 22012/13/78) dated 25-4-78 assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'A' in the Headquarters office of the Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central Excise at New Delhi on 3-8-78 (A.N.).

M. V. N. RAO  
Director of Inspection

## CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 17th August 1978

No. A-32012/9/75-Adm. V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Chairman, Central Water Commission, hereby appoints the following Research Assistants presently officiating as Assistant Research Officer (Engineering) on *ad-hoc* basis in the Central Water and Power Research Station, Pune, on a regular basis in the same post in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 w.e.f. the forenoon of 5th July, 1978. until further orders :—

1. Shri V. R. Gohad
2. Shri P. S. Kapileshwar
3. Shri S. R. Bhambure
4. Shri R. S. Patil.

2. The above officers will be on probation to the post of Assistant Research Officer (Engineering) for a period of two years w.e.f. 5th July, 1978.

J. K. SAHA  
Under Secy.

Central Water Commission

## MINISTRY OF SUPPLY &amp; REHABILITATION

DEPARTMENT OF SUPPLY

NATIONAL TEST HOUSE, ARLIPORE

Calcutta-27, the 17th August 1978

## CORRIGENDUM

No. G-318/A.—The words "the fore-noon of" appearing after the words "with effect from" in line 3 and before the

words "7/4/78 (A/N)" in line 4 of this office Notification No. G-318/A dated 19-7-78 are hereby deleted.

A. K. MAJUMDAR  
Deputy Director (Admn.)  
National Test House

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

*In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. CIDIM Engineering Private Limited.*

Calcutta, the 17th August 1978

No. 26942/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the CIDIM Engineering Private limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

*In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bihar Sahitya Bhawan Private Limited*

Calcutta, the 17th August 1978

No. 16115/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Bihar Sahitya Bhawan Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. C. NATH  
Asstt. Registrar of Companies,  
West Bengal

## OFFICE OF THE COMMISSIONER

OF INCOME TAX

New Delhi, the 10th August, 1978

## INCOME TAX,

No. JUR/DLI/V/78-79/18895.—In supersession of all previous orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of s. 124 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and of the all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the Income-tax officers mentioned in Col. II of the Schedule appended hereto shall perform their functions in respect of persons or classes of person, income or classes of incomes and cases or classes of cases specified in Col. III of the said schedule other than persons or classes of persons, income or classes of income and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under sub-section (1) of Section 127 of the said Act by the Central Board of Direct Taxes or by the Commissioner of Income-tax to any Income-tax officers :—

## SCHEDULE

| Serial No. | Designation of the ITO                        | Jurisdiction  | Area   |
|------------|---|---|--|
| I          | II  | III   | IV   |
| (1)        | Income-tax officer Distt. II(9), New Delhi.   | (a) All cases assigned u/s 127 of the IT Act.<br>(b) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areas specified in col. IV of this schedule or residing in any such area & whose name commences with alphabet 'T' except the cases of the partners of the firms which are assessed by other ITOs.<br>(c) All persons being partners of the firms falling in item (b) above. | The area comprised in Wards No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (viz. Timarpur) Sohan Ganj Aryapura Extension (Vijay Nagar) of Municipal Corporation Delhi as in on 1-6-1976. |
| (2)        | Income-tax officer Distt. II (10), New Delhi. | (a) All cases assigned u/s 127 of the I. T. Act.<br>(b) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areas specified in col. IV of this schedule  | Do.  |

| I   | II   | III  | IV   |
|---|--|--|--|
|   |  | or residing in any such area and whose name commences with alphabet 'S' and who has filed return of income for the first time on or after 1-4-1977 or who may here after file return or in whose case action u/s 139(2) of 147 has been initiated on or after 1-4-77 or may herein after be initiated and in whose case no assessment has so far been completed except the cases of the partners of the firm which are assessed by other ITOs. |  |
| (3) Income-tax officer Distt. II(15) New Delhi. | (c) All persons being partners of the firms falling in item (b) above. | (a) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areas specified in Col. IV of this Schedule or is residing in this area and whose name commences with alphabet 'S' except the cases assigned to ITO Distt. II (10) New Delhi as mentioned above and the cases of the partners of the firms which are assessed by other ITOs.  | The area comprised in Wards No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (viz. Timarpur) Sohan Ganj, Aryapura Extension, (Vijay Nagar) of Municipal Corporation, Delhi as on 1-6-1976. |
|   |  | (b) All persons being partners of the firms falling in items (a) above.  |  |

This notification shall have effect from 10-8-1978.

K. R. RAGHAVAN  
Commissioner of Income-tax,  
Delhi-V, NEW DELHI.

New Delhi, the 16th August 1978

F. No. JUR-DLI/II/78-79/1912.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf and in modification of earlier orders on the subject the commissioner of Income-tax Delhi II, New Delhi hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax mentioned in Col. 1 of the schedule herein below shall perform all the functions of Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax under said Act in respect of such areas or of such persons or classes of persons or such incomes or classes of income or of such cases of classes of cases as fall within the jurisdiction of the ITOs of the Districts/Circles mentioned in Col. 2 of the said schedule:—

SCHEDULE

| Range   | Income-tax District/Circles   |
|---|---|
| (1)   | (2)   |
| Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II/A, New Delhi. | Companies Circles-I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XVII, XVIII and XXI, New Delhi.   |
| Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II/D, New Delhi. | 1. Company Circle-XXII, New Delhi.<br>2. Contractor's Circles, New Delhi.<br>3. Lawyers Circle-I & II, New Delhi.<br>4. Trust Circles, New Delhi. |

This notification shall take effect from 16-8-1978.

A. C. JAIN  
Commissioner of Income-tax,  
Delhi-II, New Delhi.

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
DHARWAR-4

Dharwar-4, the 18th August 1978

Notice No. 225/78-79/Acq.—Whereas I, D. C. RAJAGOPALAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Sy. Nos. 11, 20, 21, 12, 18, 19, 30 and 40, situated at Dandubittahara Village, Kasaba Hobli, Narasimharajapura Taluk,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Narasimharajapura, Under Document No. 106/77-78 on 18-1-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) The Mysore Coffee Estate Limited,  
28, Krishnarajendra Road, Basavanagudi,  
Bangalore-4. (Transferor)
- (2) (1) Shri E. C. White,  
(2) Shri O. G. White,  
Koorghully Estate,  
Suntikoppa Post (Dist. Coorg),  
(3) Mrs. B. S. Domergue,  
(4) Mrs. Mabel Amos Francis White,  
(5) Smt. Malini White,  
C/o Shri E. C. White,  
Koorghully Estate,  
Suntikoppa Post, District Coorg.  
(6) Shri Sajjan R. Rao S/o  
S. M. Ramakrishna,  
Coffee Planter,  
Laxminivas Fort, Bangalore-2  
(7) Mrs. Aswini S. Ruia, w/o S. M. Ruia.  
Laxminivas Fort, Bangalore-2.  
(8) Mrs. Mridula Desai W/o R. K. Desai,  
No. 450, Rajmahal Vilas Extension,  
Bangalore-6. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Properties situated in Dandubittahara Village, Kasba Hobli, Narasimharajapura Taluk, Chickmagalur District, bearing Sy. Nos. 11, 20, 21, 12, 18, 19, 39 and 40. The Total Area of the Estate is 503 Acres and 35 Gunthas.

D. C. RAJAGOPALAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Dharwar

Date: 18-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Joginder Singh s/o Shri Lal Singh,  
r/o B-XX-658, Gurdev Nagar,  
Ludhiana.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jagdish Singh s/o Sh. Kehar Singh,  
r/o B-XX-658 Gurdev Nagar,  
Ludhiana.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/224/77-78.—Whereas I. NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana situated at Gurdev Nagar, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana. (The property as mentioned in the Registered Deed No. 2717 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

FORM ITNS \_\_\_\_\_

(1) Shri Joginder Singh s/o Shri Lal Singh,  
r/o B-XX-658, Gurdev Nagar,  
Ludhiana.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Sukhdev Singh s/o Sh. Kehar Singh,  
r/o B-XX-658, Gurdev Nagar,  
Ludhiana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Objections, if any, to the acquisition of the said property may  
be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. LDH/U/225/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana situated at Gurdev Nagar, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning of given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property No. B-XX-658, situated in Gurdev Nagar, Ludhiana.  
(The property as mentioned in the Registering Deed No. 2718 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana.

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. I DH/U/226/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Factory Building No. 193, Industrial Area A, Ludhiana, situated at Industrial Area A, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s S. S. Marzara Hosiery Factory,  
B. 5. 1365, Kucha No. 3, Radhopuri,  
Ludhiana.  
(Transferor)
- (2) Shri Dilbag Singh s/o Sh. Karnail Singh,  
and Smt. Pritam Kaur w/o Sh. Harbans Singh,  
c/o M/s. A. K. Plastic Industries, (Regd),  
Near Manju Cinema, Ludhiana.  
(Transferees)
- (3) Assistant Collector,  
Customs & Central Excise,  
1-F, Sarabha Nagar, Ludhiana.  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Factory building No. 193 Industrial Area A, Ludhiana.  
(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2730 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978  
Seal :—

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/228/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House Property No. B-IV-729, Mali Ganj, Ludhiana, situated at Mali Ganj, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satya Parkash s/o  
Shri Gurdas Ram,  
r/o B-IV, 729, Mali Ganj,  
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Parshotam Kumar Jain s/o  
Shri Raghu Nath Dass,  
r/o B-IV, 729, Mali Ganj,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property No. B-IV-729, Mali Ganj, Ludhiana.  
(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2732 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :



## FORM ITNS

(1) S/Shri Jagmohan Singh & Harmohan Singh  
S/o Shri Sardar Singh,  
r/o Village Sekhewal, Teh. Ludhiana.

(Transferors)

(2) S/Shri Pashaura Singh s/o Shri Sohan Singh  
and Kewal Singh s/o Sh. Lachman Singh,  
r/o Village Dheri, Teh. Ludhiana.

(Transferees)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/230/77-78.—Whereas I, NATHU RAM,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that  
the immovable property, having a fair market value exceed-  
ing Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 51 kanals 14 marlas,  
situated at Village Dheri H.B. 75, Tehsil Ludhiana  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908  
(16 of 1908) in the office of the Registering officer at  
Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have  
reason to believe that the fair market value of the property  
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration  
and that the consideration for such transfer as agreed to  
between the parties has not been truly stated in the said  
instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer,  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax  
Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

11—236GI/78

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said  
immovable property within 45 days from the date  
of the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 51 kanals 14 marlas, situated  
in Village Dheri, H.B. 75, Tehsil Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed  
No. 2776 of December, 1977 of the Registering Officer,  
Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/250/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot measuring 671 Sq. Yds. in Gurdev Nagar, Ludhiana, situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Gurparsad Trust (Regd), Gurdev Nagar, Ludhiana through Shri Pritpal Singh Grewal, Managing Trustee.

(Transferor)

(2) S/Shri Ashok Kumar, Sham Sunder, Anil Kumar and Anup Kumar sons of Sh. Om Parkash c/o c/o M/s Om Parkash Satish Kumar, Mandi Kesarganj, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot measuring 671 Sq. Yds situated in Gurdev Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2951 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/232/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot measuring 490 Sq. Yds, situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Gurparsad Trust (Regd), Religious & Charitable, Ludhiana, through Shri Pritpal Singh Grewal, Managing Trustee, Gurdev Nagar, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Om Parkash s/o Shri Hari Ram, r/o Mandi Kesarganj, Ludhiana. C/o M/s. Om Prakash Satish Kumar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot measuring 490 Sq. Yds situated in Gurdev Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2806 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME TAXACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/240/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House property No. B-XIX-154-A, Rani Jhansi Road, Ludhiana, situated Rani Jhansi Road, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Shakuntla Devi, r/o  
76, Sector 16-A, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Kusam Rani w/o Shri Abnash Chand,  
B-3, 439, Purana Bazar,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property No. B-XIX-154-A, Rani Jhansi Road, Civil Lines, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2911 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/234/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House property No. B-XIX-154-A, situated at Rani Jhansi Road, Civil Lines, Ludhiana. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

5—216 GI/78

(1) Smt. Shakuntla, r/o  
76, Sector 16-A, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Aruna Rani w/o Shri Satish Chander,  
r/o B-III-439, Purana Bazar,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

## THE SCHEDULE

House Property No. B-XIX-154-A, Rani Jhansi Road, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2833 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/236/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Building No. K-3/4 Textile Colony, Ludhiana situated at Textile Colony, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Daljit Singh s/o Shri Baldev Singh,  
B-V/1221, Guru Nanak Gali, Madhopuri,  
Ludhiana.

(Transferor)

(2) M/s Parkash Industrial Corporation,  
K-3/4 Textile Colony, Indl. Area A,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property/Building No. K-3/4 Textile Colony, Indl. Area A, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2868 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/246/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/c and bearing No.

Factory Building No. 125 Industrial Area A, Ludhiana situated at Industrial Area A, Ludhiana (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Sahnan Knitwears,  
r/o 125 Industrial Area A,  
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Gian Chand Batta, s/o Shri Ram Nath,  
r/o 125 Industrial Area A,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Building No. 125 Industrial Area A, Ludhiana on a plot measuring about 274 Sq. Yds.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2924 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/247/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S.C.F. No. 21 Bhadaur House, Ludhiana situated at Bhadaur House Market, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, as the following persons namely :—

(1) Shri Inderjit Nagpal s/o  
Shri Bansi Lal, r/o  
B-7/210-211, Saban Bazar,  
Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Satwant Singh & Daljit Singh, s/o Shri Mohinder Singh and Smt. Manjit Kaur w/o Shri Mohinder Singh.  
r/o Village Issewal, Tehsil, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property SCF No. 21 Bhadaur House Market, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2931 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/253/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

SCF No. 8, Bhadaur House, Ludhiana situated at Bhadaur House, (Market), Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

12—236GI/78

(1) Shri Rakha Ram Rekhi s/o Shri Saran Dass,  
G.T. Railway Road,  
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Chiu Pang Singh s/o Shri Chiu Vee Kum,  
Resident of Deepak Cinema Road,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop-Cum-Flat No. 8 in Bhadaur House Market, Ludhiana, a plot measuring 110 yards.

(The Property as mentioned in the Registered Deed No. 3020 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. PTA/43/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property (shop) No. 240/3, Dharam Pura Bazar, Patiala situated at Dharampura Bazar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in December, 1977

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kirpal Kaur w/o  
Shri Sangat Singh, r/o  
240/3, Dharam Pura Bazar,  
Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Shiv Kumar & Keshav Chand,  
sons of Shri Ram Chand, c/o  
M/s Upkar Traders, Sadar Bazar,  
Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property(shop) No. 240/3 situated in Dharampura Bazar, Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4442 of December, 1977 of the Registering Officer, Patiala).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. PTA/4A/78-79.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property (shop) No. 240-B/3, Dharampura Bazar, Patiala situated at Dharam Pura Bazar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in April 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object or —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kirpal Kaur w/o Shri Sangat Singh, 240/3, Dharampura Bazar, Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Shiv Kumar & Keshav Chand, sons of Shri Ram Chand, c/o M/s Upkar Traders, Sadar Bazar, Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property (shop) No. 240-B/3 situated in Dharampura Bazar, Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 236 of April, 1978 of the Registering Officer, Patiala)

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

(1) Mrs. Jasmer Kaur Jogi, r/o  
2249/15-C, Chandigarh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Mohinder Singh Lohana and  
Mrs. Jit Kaur Jogi, resident of  
1590, Sector 18-D, Chandigarh.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. CHD/80/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

2½ Storeyed residential building No. 3434, Sector 23-D, Chandigarh.

(situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chandigarh in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

2½ storeyed residential building No. 3434, Sector 23-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 918 of December, 1977 of the Registering Officer, Chandigarh).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. BRN/7/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/1 and bearing No.

Land measuring 14 kanals situated at village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Barnala in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Dalip Singh s/o Shri Kehar Singh and Shri Mohinder Singh s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) S/Shri Sat Pal, Pawan Kumar, Subhash Kumar sons of Sh. Bachan Lal, Shri Surinder Kumar Jati s/o Sh. Ishar Dass, Smt. Raj Rani w/o Sh. Ram Parkash and Sh. Hari Chand (HUF) son of Sh. Raila Ram, all r/o of Barnala (Partners of Jindal Rice Mills, Barnala).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 14 kanals situated in village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4094 of December, 1977 of the Registering Officer, Barnala).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 22-8-1978

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. BRN/8/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land measuring 10 kanals 16 marlas situated at in Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Barnala in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) S/Shri Hakam Singh and Bant Singh, sons of Shri Dalip Singh r/o Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur. (Transferor)
- (2) S/Shri Sat Pal, Pawan Kumar, Subhash Kumar sons of Sh. Bachan Lal, Hari Chand s/o Sh. Ralla Ram, Surinder Kumar Jati s/o Sh. Isher Dass, Smt. Raj Rani w/o Sh. Prem Parkash and Sh. Sohan Lal s/o Shri Mangat Rai, all resident of Barnala (c/o Jindal Rice Mills, Barnala). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 10 kanals 16 marlas situated in Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.  
(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4118 of December, 1977 of the Registering Officer, Barnala).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. MKL/19/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

situated at Dilwar Bagh, Near Bus Stand, Malerkotla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malerkotla in December, 1977

for an apparent Consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) H. H. Begum Sabiba Muniwar-Ul-Nisha  
w/o H. H. Zana Nawab Mohammed Iftikhar Ali Khan Sahib Bahadur,  
Palace Garden, Near Bus Stand,  
Malerkotla.

(Transferor)

(2) M/s Sangeet Palace, Near Bus Stand, Dilwar Bagh, Malerkotla, through share holders, namely S/Shri Prem Kumar s/o Sh. Parshotam Lal, Om Parkash s/o Sh. Telu Ram, Smt. Phullan Rani w/o Sh. Om Parkash, Surinder Kumar s/o Sh. Om Parkash, Ashwinder Kumar s/o Sh. Om Parkash, all resident of Malerkotla (Satta Bazar), and Smt. Vidya Wati w/o Sh. Bachna Ram, r/o village Banbhora, Shri Rahat Hussain s/o Salamat Ullah Singh of Malerkotla and Sh. Beant Singh s/o Jaungle Singh r/o Beer Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 5 kanals situated in Dilwar Bagh, Near Bus Stand, Malerkotla, Distt. Sangrur.  
(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1945 of December, 1977 of the Registering Officer, Malerkotla).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT.  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. MKL/21/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

Plot of land measuring 2 kanal 19.2/5 marlas (i.e. 1777.7/9 Sq. Yds.)

situated at Dalawar Bagh, Near Old Bus Stand, Malerkotla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Malerkotla in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) H. H. Janaba Begum Sahiba Munawar-Ul-Nisha w/o H. H. Nawab Mohammed Iftikhar Ali Khan Sahib, near Bus Stand, Malerkotla.

(Transferor)

(2) S/Shri Tarsem Chand & Ruldu Ram, sons of Shri Nathi Ram, Mohalla Bhawrian, Malerkotla.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot of land measuring 2 kanal 19.2/5 marlas (i.e. 1777.7/9 Sq. Yds) situated in Dalawar Bagh, Near Old Bus Stand, Malerkotla.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2004 of December, 1977 of the Registering Officer, Malerkotla).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :



FORM ITNS ———

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh,  
resident of Agwar Ladhai, Teh. Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269B(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mohinder Singh s/o Shri Karam Singh,  
100 Agwar Pona, Teh. Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/28/77-78.—Whereas I, NATHU RAM,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition  
Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B  
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer-  
red to as the 'said Act') have reason to believe that the immo-  
vable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas  
situated at Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer  
at Jagraon in December, 1977

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the  
aforesaid property and I have reason to believe that the fair  
market value of the property as aforesaid exceeds the appa-  
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of  
such apparent consideration and that the consideration for  
such transfer as agreed to between the parties has not been  
truly stated in the said instrument of transfer with the object  
of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer  
and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or which  
ought to be disclosed by the transferee for the pur-  
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-  
tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely :—

13-236GI/78

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said  
immovable property within 45 days from the  
date of the publication of this notice in the  
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated  
in village, Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.  
(The property as mentioned in the Registered Deed  
No. 3707 of December, 1977 of the Registering Officer,  
Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/29/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai, Tehsil, Jagraon, Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1952) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Village Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Dalip Singh s/o Shri Karam Singh, resident of Village Agwar Pona, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated in village, Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 3708 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978  
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh,  
resident of Village Agwar Ladhai, Teh. Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) S/Shri Kulbir Singh, Avtar Singh, Balwant Singh  
and Kulwant Singh sons of Shri Sikander Singh,  
resident of Village Agwan Pona, Teh. Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

Ludhiana, the 21st August 1978

(b) by any other person interested in the said  
immovable property within 45 days from the  
date of the publication of this notice in the Official  
Gazette.Ref. No. JGN/34/77-78.—Whereas I, NATHU RAM,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition  
Range, Ludhianabeing the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas  
situated at Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Jagraon in December, 1977for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of—EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated  
in village, Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana.(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3987  
of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon,  
Distt. Ludhiana).Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

## OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/35/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Village Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana. (Transferor)
- (2) S/Shri Lakha Singh, Bahadur Singh, Jalor Singh and Balor Singh sons of Shri Joginder Singh, Village Agwar Pona, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated in Village Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3988 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No JGN/31/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Three storeyed building (shop) constructed on a plot measuring about 50 sq. yds. i.e. 390 Sq. ft.

situated at Railway Road, Jagraon

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tej Bahadur s/o Shri Chhaju Ram,  
r/o Railway Road, Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Sat Parkash and Rajinder Pal,  
sons of Shri Hem Raj,  
r/o Ram Nagar, Jagraon,  
Distt. Ludhiana.

(Transferees)

(3) M/s Punjab Cloth Stores,  
Railway Road, Jagraon, Distt. Ludhiana.  
M/s Naveen Cloth Stores, Jagraon.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Three storeyed building(shop) constructed on a plot measuring about 50 sq. yds. situated on Railway Road, Jagraon.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 3787 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,

CENTRAL REVENUE BUILDING,

LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/R/90/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Agricultural Land measuring 16 kanals situated at Village Miran, Teh. & Distt. Ludhiana (and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in January 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (28 of 1957);

Nok therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Harnam Singh s/o Shri Daya Singh,  
r/o Village Hirau, Teh. & Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Kumar s/o Shri Rattan Chand,  
r/o 534/B-XIX, College Road, Civil Lines,  
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 kanals situated in village Hiran, Teh. & Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 5330 of January, 1978 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. AML/19/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property consisting of one room and one godown with open space, constructed on a plot measuring 600 Sq. Yds. situated at Shastri Nagar, Mandi Gobindgarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Amloh in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Sawinder Nath s/o Shri Kaur Sain, r/o Shashtri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala.

(Transferor)

(2) Shri Ram Avtar s/o Shri Johri Lal, r/o Shashtri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House Property consisting of one room and one godown with open space constructed on a plot measuring 600 Sq. yds situated in Shashtri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1146 of December, 1977 of the Registering Officer, Amloh, Distt. Patiala).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
CENTRAL REVENUE BUILDING,  
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. SNM/46/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land measuring 44 kanals 12 marlas situated at Raqba Sunam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sunam in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karnail Singh s/o Shri Puran Singh,  
resident of Sunam Tibbi,  
Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) Shri Jit Singh s/o Shri Budh Singh,  
r/o Sunam.  
Distt. Sangrur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 44 kanals 12 marlas situated in Raqba Sunam, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2380 of December, 1977 of the Registering Officer, Sunam, Distt. Sangrur).

NATHU RAM  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

Seal :



## FORM ITNS

(1) Shri Amar Nath Arora, s/o. Sh. Kishan Chand Arora, r/o 2/264, Tihar Subhash Nagar, New Delhi.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Madhu Sabhnani (2) Sh. Trilok Sabhnani, ss/o Sh. Heman Das, r/o E-402, Ramesh Nagar, New Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 11th August 1978

Ref. No. IAC/Acq.II/1319/78-79/2151.—Whereas I, KANWARJIT SINGH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

D-55 situated at Bali Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 19-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

14—236GI/78

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A free-hold Plot of land bearing No. D-55 measuring 366.66 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, Delhi and bounded as under :—

East : Road 30'  
West : Plot No. 249, Raja Garden  
North : Road 30'  
South : Road 30'

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 11-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Gyan Chand s/o Shri Khem Chand R/o 396, Lal Katra Ward No. XII, Subzi Mandi, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Budh Ram s/o Sh. Asa Ram R/o Jhuggi No. 294, Gali Akharey Wali, Kabir Basti, Malkaganj Road, Subzi Mandi, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi, the 18th August 1978

No. IAC.Acq.II/Dec. 38/3456/2300.—Whereas, I, KANWARJIT SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 396/XII situated at Lal Katra Subzi Mandi, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 15-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shop bearing No. 396/XII, Subzi Mandi measuring 32.25 sq. yds. and is bounded as under :

North : Property of Daya Vati  
East : Property of Jagdish Lal  
South : Property of Dr. Ram Rakha Mal.  
West : Main Road.

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date : 19-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 11th August 1978

No. IAC.Acq.I/SR-III/336/Feb.90/77-78/2158.—Whereas,  
I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

II-E-29 situated at Lajpat Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 2-3-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Kartar Singh S/o Harnam Singh R/o E-29, Lajpat Nagar-II, New Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Ramesh Punjabi, (2) Sh. Dushyant Punjabi s/o S. Kanhaya Lal Punjabi, R/o II-E-28, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A single storied house property No. II-E-29, situated at Lajpat Nagar, New Delhi and bounded as under :

East : Open  
West : Quarter No. E-II/30  
North : Service Lane  
South : Park.J. S. GILL,  
Competent Authority,  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date : 11-8-1978

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. II/Dec.27/663/78-79/2382.—Whereas I, KANWARJIT SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-4/5 situated at Krishan Nagar Chaundly Gaon, Shahdara, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 26th December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Swarn Singh s/o Shri Gurdial Singh r/o House No. A-1, Shankar Nagar, Delhi-51.  
(Transferor)

(2) Smt. Ramesh Kumari w/o Shri Mohi Sagar, r/o House No. E-15/7, Krishan Nagar, Delhi-51.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. C-4/5 area 158-1/3 sq. yds. Krishan Nagar, Chaundly Village, Shahdara, Delhi situated as under :—

East : remaining part of property  
West : Plot No. C-3/5  
North : Plot No. C-4/1  
South : Road

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 24-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. I.A.C.Acq. II/December-6/642/77-78/2382.—  
Whereas, I, KANWARJIT SINGH,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.  
Shop No. 42 situated at Mohalla Gazzu Katra, Bada Bazar,  
Shahdara, Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer  
at Delhi  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction evasion of the liability of  
the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) Shri Raghunath Rai Sharma, S/o Shri H. R. Sharma  
R/o 35-A, East Azar Nagar, Delhi-110051.

(Transferor)

(2) Smt. Shyamo Devi wife of Shri Har Sarup Sharma,  
R/o Dooma Village, Shahdara, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

A shop bearing No. 42, Ward No. V measuring 50 sq. yds.  
Mohalla Gazzu Katra, Bada Bazar Shahdara and bounded  
as under :

East : Shop No. 43  
West : Shop No. 41  
North : Bada Bazar  
South : Shop No. 44

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 24-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref No. IAC.Acq.II/December. 85/3497/77-78/2382.—  
Whereas, I, KANWARJIT SINGH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 4 situated at Malka Ganj, Main Road, Subzi Mandi, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a), facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereto, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Santosh Kapoor w/o late Shri G. L. Kapoor, R/o D-1/21, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Gurcharan Singh Pahwa, s/o late Shri Rattan Singh, (2) Smt. Kamlesh Pahwa in the name of Smt. Kamlesh Rani Pahwa, W/o Sh. Gurcharan Singh Pahwa R/o P11, Malka Ganj, Subzi Mandi Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A shop No. 4 measuring 55 sq. yds. situated at Main Road, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi and bounded as under :  
East : Park  
West : Road  
North : Shop No. 2 and 3  
South : Shop No. 5

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 24-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. II/Dec. 42/3460/78-79/2382.—Whereas, I,  
KANWARJIT SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 27 Road No. 18 Class 'D' situated at Punjabi Bagh, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 16-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ram Bai w/o Late Shri S. Prem Singh, R/o House No. 12 East Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kirori Ram s/o Shri Takhi Ram, R/o M-40 Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 27 Road No. 18 area 367.26 sq. yds. situated at Class 'D' Punjabi Bagh, Village Basai Darapur, Delhi within the limit of Delhi Municipal Corporation is situated as under :

East : Service Lane  
West : Road No. 18  
North Plot No. 25  
South : Road No. 11KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 24-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Ref. No. II/78-79.—Whereas, I, KANWARJIT SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

XIV/11185 situated at Doriwalan, Karol Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 17-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Matwal Chand s/o Shri Ganpat 18-A/14 Doriwalan, Karol Bagh, N. Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Kaushalya Devi w/o Shri Attar Chand, 18-A/14 Doriwalan, Karol Bagh, N. Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Undivided half portion of House property No. XIV/11185 Municipal No. 18-A/14 Doriwalan, Karol Bagh, New Delhi measuring 165 sq. yds. and bounded as under:—

North : Road  
South : Property 18A/13  
East : Road  
West : Service Lane

KANWARJIT SINGH,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi,

Date : 26-8-1978

Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/Dec/812(4)/77-78.--

Whereas, I, D. P. GOYAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

XVI/4400 situated at Plot No. 1385 Block F, Gali 56/57, Basti Regarpura, Karol Bagh, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 5th December, 1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—236GI/78

(1) Shri Chuni Lal S/o Bansi Ram of 57/4400, Gali 56/57, Regharpura, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri (1) Sh. Jagdish Kumar Taneja S/o Rodh Raj, R/o 3A/41, W.E.A. Sat Nagar Karol Bagh New Delhi (2) Sh. Dat Prakash Ralen S/o Khandu Ram, R/o Bahadurgarh Road, New Delhi.

(Transferees)

(3) Shri Ravinder Prakash, XVI/4400, Block F, Gali 56/57, Plot No. 1385, Regarpura K. Bagh.

(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. XVI/4400, Gali No. 56-57, Block F, Basti Regharpura, Regharpura, Karol Bagh New Delhi with pucca built 2½ storied area 50 sq. yds. Plot/Khasra No. 1385 Khewat No. 1 min Khatuni No. 1420 Jamnabandi 1971-72 bounded as under :—

East : Plot No. 1386  
West : Plot No. 1384  
North : Gali  
South : Gali

D. P. GOYAL,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date : 26th August, 1978.

Seal :

## FORM ITNS—

(1) Shri Harbans Singh Bakshi S/o Sh. Murari Singh  
R/o 5/1, Singh Sabha Road, Subzimandi Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Satpal Singh Chawla S/o Sh. Gurdit Singh  
Chawla R/o FD/14, Tagore Garden New Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-II/Dec/1569(2)/78-79.—

Whereas, I, D. P. GOYAL,  
being the Competent Authority under Section  
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),  
(hereinafter referred to as the 'said Act'),  
have reason to believe that the immovable property, having  
a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing  
No. FD/14, situated at Tagore Garden, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the Office of the Registering Officer at  
Delhi on 3rd December, 1977  
for an apparent consideration  
which is less than the fair market value of the aforesaid  
property and I have reason to believe that the fair market  
value of the property as aforesaid exceeds the apparent  
consideration therefor by more than fifteen per cent of  
such apparent consideration and that the consideration for  
such transfer as agreed to between the parties has not been  
truly stated in the said instrument of transfer with the  
object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-  
in as are defined in Chapter XXA of  
the said Act, shall have the same meaning  
as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A house built on lease hold plot of land bearing Plot No.  
D/14, in Block F, measuring 149.33 sq. yds. situated in the  
Layout plan of Najafgarh Road Scheme, New Delhi, now  
known as Tagore Garden area of village Tatarpur Delhi State,  
Delhi, within the limits of Delhi Municipal Corporation, and  
bounded as under :—

North : Open space  
South : Road 36  
East : Property No. 15  
West : Property No. 13

D. P. GOYAL,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date : 26th August, 1978.

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 12th April 1978

Ref. No. Acq/1659-A/Saha.anpur/77-78/206.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haridwar on 6-12-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Jaubari Lal s/o Brij Lal Niranjani Akhara Quarters, Haridwar, Parg. Jwalapur, Distt. Saharanpur.  
(Transferor)
- (2) S/Shri Trilok Chand Nayyar, s/o Ram Chand Nayyar, Madan Lal Nayyar s/o Ram Chand Nayyar, Deo Raj Nayyar s/o Trilok Chand Nayyar and Shyam Bhushan Nayyar s/o Madan Lal Nayyar R/o 351-R, Model Town, Ludhiana.  
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 23000 sq. ft. situated on Roorkee, Haridwar Road near Rahipur Tanning, Saharanpur, Transferred for An Apparent consideration of Rs. 1,15,000/-.

R. P. BHARGAVA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kanpur

Date : 12-4-1978.  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR, SARAF CHEMBER  
SADAR NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

No. IAC/ACQ/69/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRI-VASTAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of House bearing No. 250, in Ward No. 30, Circle No. 10/15 Total area 52.45 Metres Itwari, Nagpur situated at Nagpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 22-12-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Shri Prakashchandra s/o Nathulalji Agarwal, r/o Kirana Oli, Itwari, Nagpur. (Transferor)
- (2) Shri Govindram s/o Tulsidas, r/o Jawahar Nagar, Quotta Colony, Nagpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Portion of House bearing No. 250, in ward No. 30, Circle, No. 10/15, Total area 52.45 metres, Itwari, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 19-7-1978  
Seal :

FORM ITNS ———

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR, SARAF CHEMBER  
SADAR NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

No. IAC/ACQ/68/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRIVASTAVA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of House No. 250 in Ward No. 30, Circle No. 10/15 Kirana Oli, Itwari Nagur situated at Nagpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Nagpur on 22-12-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Prakashchandra s/o Nathulalji Agarwal, r/o Kirana Oli, Itwari, Nagpur.  
(Transferor)
- (2) Smt. Radhadevi w/o Maghamal Sugandha, r/o Jawahar Nagar, Qutta Colony, Nagpur.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, with in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Portion of House No. 250 in Ward No. 30, Circle No. 10/15 Kirana Oli, Itwari, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 19th June, 1978  
Seal :

**FORM ITNS** ———**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 19th August 1978

Ref. No. Acq/1618-A/G.BAD/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 30-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Om Prakash s/o Ram Swaroop Modi Nagar Teh. & Dist. Ghaziabad.  
(Transferor)

(2) Smt. Ram Kali W/o Ratan Lal, Sharad Kumar (Minor) S/o Kishan Das, B-Bilayat & Sarparastti Smt. Shakuntla Devi (Mother) R/o Pannapuri, Hapur and Rakesh Kumar and Sudhir Kumar sons of Ved Prakash, R/o Krishna Ganj, Hapur.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Immovable property consisting of Cold Storage, General Mill, Land & Building known as Birmani Cold Storage & General Mills (old name) present name Raj Cold Storage, situated at Lisari Gate, Meerut, Transferred for an Apparent consideration of Rs. 2,20,000/-.

L. N. GUPTA,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 19-8-1978.  
Sd : —

## FORM ITNS ———

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING  
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd August 1978

Ref. No. ACQ/1638-A/S.Pur/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number

as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Roorkee on December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mukkha and Mangu sons of Jamma R/o Aaneke Hetampur, P.O. Aurangabad, Teh. Roorkee, Distt. Saharanpur.  
(Transferor)

(2) Assaram S/o Saktu and Nand Kishore S/o Assaram, R/o Aaneke Hetampur Teh. Roorkee, Distt. Saharanpur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Agricultural land measuring 21 Bigha and 18 Biswa comprised in Khata Nos. 345 and 114, situated at Vill. Salempur Mahdood, Teh. Roorkee, District Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 15,000/-.

L. N. GUPTA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-8-1978.

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Chalasani Mastanaiah, S/o Venkata Ramayya, Goginampadu Kaikalpur Taluk, Krishna Dist.  
(Transferor)
- (2) Smt. Tatineni Kusuma Kumari, W/o Dr. T. Tataiah Babu, Nuzvid, Krishna Dist.  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th April 1978

Ref. No. Acq. F. No. 652.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. RS No. 216 situated at Nuzvid (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nuzvid on 27-12-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4353/77 registered before the Sub-registrar, Nuzvid during the fortnight ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada

Date : 6-4-78.  
Seal :



## FORM ITNS—

(1) Shri Chalasani Mastanaiah, S/o Venkata Ramayya,  
Goginampadu, Kaikaipur Taluk, Krishna Dist.  
(Transferor)

(2) Smt. Tatineni Kusuma Kumari, W/o  
Dr. T. Tataiah Babu,  
Nuzvid, Krishna Dist.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th April 1978

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45  
days from the date of publication of this notice in  
the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons which-  
ever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are  
defined in Chapter XXA of the said Act  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

Ref. No. Acq. F. No. 653.—Whereas, I, N. K.  
NAGARAJAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.  
RS No. 216 situated at Nuzvid  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Nuzvid on 27-12-77  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—  
16—236GI/78

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No.  
4352/77 registered before the Sub-registrar, Nuzvid during  
the fortnight ended on 31-12-77.

N. K. NAGARAJAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date . 6-4-78

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-  
MISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 20th April 1978

Ref. No. Acq.F. No. 664.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/134 situated at Main Road, Indupalli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gudivada on 12-9-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Veeramachaneni Suvarna Kumari,  
W/o Venkata Krishna Bhagavan,  
Indupalli, Gannavaram taluk. (Transferor)

(2) Shri Veerapaneni Baburao,  
S/o Venkateswararao,  
Pre-fab Gratings Ltd., China Avutapalli,  
Peda Autapalli (P.O.), Gannavaram Taluk. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3298/77 registered before the Sub-registrar, Gudivada during the fortnight ended on 15-9-1977.

N. K. NAGARAJAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 20-4-1978.

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Ref. No. Acq. File 718.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8-20-77 situated at Kakinada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 29-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) (1) Rallapalli Venkata Ananda Rao, s/o Late Sri Veeraraghava Sastri, Clerk, Indian Oil Corporation Ltd.,

(2) R. Apparao

(3) Ch. Venkata Subbalaxmi

(4) T. Prabhavathi

(5) G. Parvati

(6) Ch. Tripurasundari

L. Rs. of Sri R. Eswara Krishna Prasad.

Door No. 16-11-16/2, Saleem Nagar Colony-2, Hyderabad-36.

(2) Amatam Mangayamma, w/o. Dr. Veerabhadra Rao, Chavalivari St., Dr. No. 8-20-17, Gandhinagar, Kakinada.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document No. 6757/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F.N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 28-7-1978.

Seal

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 23th July 1978

Ref. No. Acq. File 719.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

413/3 & 417 situated at Kalavachurta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 7-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Merla Ramachandra Murthy, s/o. Jinnayya, (2) Nekkanti Seshagiri Rao, s/o. Ramamurthy (3) Smt. Merla Durgamma, w/o. Ammanna, Velangi, Kakinada Tq. (4) Merla Ramachandrarao, s/o. Veeraju, Kakinada.
- (2) S. Padmakesari, w/o. S. R. K. Hanumantha Rao, Advocate, Syamalanagar, Rajahmundry-533103.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document No. 6519/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the P. N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 28-7-1978.

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Acq. File Ref. No. 720.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8-3-1973 situated at Kakinada (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Kakinada on 5-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Sri Cankapalli Madhavarao s/o Ranganalkulu,  
(2) Smt. C. Kamalamma, GPA Holder Sri C. Sudarsana Rao,  
(3) Sri C. Prabhakara Rao, GPA Holder Sri C. Madhava Rao,  
(4) Sri C. Sudarsana Rao, Judges Bungalow, Gandhinagar, Kakinada.  
(Transferor)
- (2) Shri M. M. Kale, Superintending Engineer, Electrical and Mechanical, L.S.H.C. Scheme, Mothugudem-507113.  
(Transferee)
- (3) Shri A. K. Mohan, Palavari Street, Kakinada.  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document No. 6493/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F. N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada

Date : 28-7-1978,  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Acq. File Ref. No. 721.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Khandasari Sugar Factory situated at Epuru Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Eluru on 13-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sri Balaji Khandasari Sugars, by its 19 partners;

S/Sri

1. Smt. Potluri Dhanalakshmi Rajyam
2. Avirneni Rama Sastrulu
3. Smt. Talasila Kamala Devi
4. Nalajala Sringadas
5. Surapaneni Gopalakrishnaiah
6. Smt. Akkineni Seshamamba
7. Cherukuri Radhakrishna Murthy
8. Smt. Gummadi Saradamba
9. Kanakamedala Ramakrishnaiah
10. Smt. Paladugu Kedaramma
11. Avirneni Taraka Brahmam
12. Goriparthi Gopiraju
13. Veerapaneni Ramachandrarao
14. Dr. S. K. S. N. Prasad
15. Atluri Venkata Rangarao
16. Avirneni Somaiah
17. Bandi Ramakotaiah
18. Nalajala Satyanarayana
19. Siripurapu Kutumbarao

G.P.A. Holders :—

1. Sri Siripurapu Kutumbarao,  
S/o Ankineedu,  
Labbipeta, Vijayawada.
2. Sri Potluri Veeraraghavaiah,  
S/o Krishnayya,  
Rajendranagar, Gudivada.

(Transferor)

(2) Jaya Khandasari Sugars (P) Ltd.,  
Epuru, Eluru, Tq., Via : Hanuman Junction,  
West Godavari Dist,  
Rep. by its Mg. Director Sri Yelavarthi Anjaya,  
S/o Veerayya, Epuru.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3974/77, registered before the Sub-Registrar, Eluru, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada

Date : 28-7-1978

Seal :

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 4th August 1978

Acq. File Ref. No. 729.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

17/33-1-8 situated at Main Road, Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 5-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- S/Shri
- (1) 1. Palepu Venkataramana  
2. P. Satyanarayana Murthy  
3. P. Vijaya Kumar  
4. P. Ramakrishna  
5. P. Surya Sankara Sai,  
M/G. Mother Smt. P. Sitha Mahalaxmi  
6. Smt. P. Sita Mahalaxmi,  
Main Road, Kakinada. (Transferor)
- S/Shri
- (2) 1. Naraindas Khemchand Mankani  
2. Purushottam Mankani,  
C/o M/s. Sona, Main Road, Kakinada. (Transferee)
- (3) 1. M/s. Sona, Main Road, Kakinada.  
2. M/s. Southern Agencies, Main Road, Kakinada.  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 6496/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada

Date : 4-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS ———

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 4th August 1978

Acq. File Ref. No. 730.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

27-18-16 situated at Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 12-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Soudegar Prasad Rao,  
S/o Kanakayya,  
2. Smt. Soudegar Laxmibaamma  
w/o Kanakayya.  
Door No. 28-8-6, Durgayya St.,  
Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Sri P. Lezlaram  
S/o Hans Rajmal Pishwani,  
Jaleel St., Arundalpetta,  
Vijayawada-520 002.

(Transferee)

(3) The Asst. Director of Industries,  
Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3549/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 4-8-1978

Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 5th August 1978

Acq. File Ref. No. 731.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

12-10-6 situated at Vijayawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto); has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 12-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

17—236GI/78

S/Shri

- (1) 1. Yanamandra Sankaranarayana Sastry,
2. Y. Laxminarasimha Murthy
3. Y. Srinivas Kumar
4. Y. Ravi Laxminarayana
- M/G Father Sri Y Sankaranarayana Sastry,
- C/o Laxmi Trading Corporation,
- Vijayawada-1.

(Transferors)

- (2) M/s. J. Fulchand & Co.,
- Convent Street Vijayawada-1,
- By its partners :

S/Shri

1. Jagdish F. Modi
2. Ramesh F. Modi
3. Prakash F. Modi
4. Tareen F. Modi.

(Transferees)

- (3) M/s. Gurudatt & Co.,
- Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3546/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 5-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
KAKINADA

Kakinada, the 5th August 1978

,Acq. File Ref. No. 732.—Whereas, I. N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

2/90 situated at Kothapeta, Nuzvid (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nuzvid on 29-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Vallabhaneni Kamalvathamma  
W/o Late Sri Rangayya,  
Door No. 16/100, Postal Colony, Patamata,  
Vijayawada. (Transferor)
- (2) Kotha Venkata Ramasah Krishna,  
M/G. Father Sri K. Venkata Apparao,  
Nuzvid, Krishna Dist. (Transferee)
- (3) A.P.S.E. Board, Nuzvid.  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4360/77 registered before the Sub-Registrar, Nuzvid, during the F.N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 5-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 14th August 1978

Acq. File Ref. No. 734—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 45-23-23A situated at Rajahmundry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 6-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri

- (1) 1. Velugubanti Balaraju S/o Mutyam,  
2. Smt. V. Suryakantam W/o Balaraju,  
Innispeta, Rajahmundry.

(Transferors)

- (2) Sri Neelam Saibaba S/o Venkata Rao,  
Innispeta, Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period express later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4688/77, registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada

Date : 14-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 735.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

11-62-21 situated at Canal Road, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977

for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri D. Mrutyunjaya Sastry s/o Seshadri Sastry, Central Bank of India, Governorpeta, Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj, 2. Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji, C/o Sha Kanmal Dhanpathraj, Ramagopal Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

(3) 1. K. Mohan Rao  
2. A. Durga Rao  
3. Vijaya Durga Lorry Transport, Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3518/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 16-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 736.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

11-62-21 situated at Vijayawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) D. Ramana Sarma s/o Seshadri Sastry,  
GPA Holder Sri D. Radhakrishna Murthy, Advocate,  
Prakasam Road, Suryaraopeta, Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj,  
2. Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji,  
C/o Sha Kanmal Dhanpathraj,  
Ramagopal Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

(3) 1. K. Mohan Rao  
2. A. Durga Rao  
3. Vijaya Durga Lorry Transport,  
Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 3517/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 16-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 737.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11-62-21 situated at Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri D. Radhakrishna Murthy, Advocate  
(2) D. Sanath Kumar s/o Radhakrishna Murthy, Prakasam Road, Suryaraopeta, Vijayawada. (Transferor)
- (2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj,  
2/ Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji,  
C/o Sha Kanmal Dhanpathraj,  
Ramagopal Street, Vijayawada-1. (Transferee)
- (3) 1. K. Mohan Rao  
2. A. Durga Rao  
3. Vijaya Durga Lorry Transport,  
Vijayawada. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. No. 3516/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority,  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 16-8-1978

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 739.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 26-9-28 situated at Vijayawada (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Vijayawada on December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kattamuri Venkatesham  
S/o Rama Seshagiri Rao,  
C/o M. Brahmaiah, C.A., Gandhinagar,  
Vijayawada.

(Transferor)

(2) Shri Madapalli Gurunadha Rao,  
S/o Narasimham,  
C/o Imperial Drug Corporation,  
Thatakulavari Street,  
Vijayawada-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3592/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 30-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 16-8-1978  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 740.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. TS. 771 situated at Visakhapatnam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on 13-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) **facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**
- (b) **facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Smriti Banerjee  
W/o Sri Sivnath Banerjee, Advocate  
P-50, C.I.T. Road, Calcutta-14.

(Transferor)

(2) Smt. Yerra Jayaprada W/o Nageswara Rao,  
Dy. Chief Engineer (Con.),  
S.E. Railway,  
707, Station Road, Visakhapatnam-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4374/77 registered before the Sub-Registrar, Visakhapatnam, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 16-8-1978  
Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDIROOM  
HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 14th August 1978

No. Acq. 23-I-1563 (706)/16 6/77-78.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 390 situated at South side of S.T. Workshop, Gondal Road, Rajkot. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot in December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there'or by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :

(1) Shri Girdharlal Narshibhai, Pratapbhai Girdharlal-bhai, 68, Gita Nagar, Rajkot-2.  
(Transferor)

(2) M/s. Pradeep Enterprise, through partner, Sushila Girdharlal, Gondal Road, Rajkot.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

One building standing on land admeasuring 4082-6-0 sq. yds. bearing S. No. 390 situated at South side of S.T. Workshop, Gondal Road, Rajkot and as fully described in the sale-deed Registered vide R. No. 3494/77 in the month of December, 1977.

J. KATHURIA,  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated 14-8-1978

Seal :

